



2 आरक्षण का लाभ लेने वाले 70 प्रश फर्जी

3 बपौती नहीं बीओटी सड़कें ठेकेदारों की

4 मप्र जनसंपर्क जालसार्जों और कमीशन खोरों का अड्डा

5 अर्बों रु. की खरीदी और स्टॉक में हेराफेरी

6 व्यापारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की मंडिया

7 हर वर्ष दरों में बढ़ोतरी कर जनता से वसूली

निर्णय भोपाल गैस कांड, 26 वर्ष बाद 20000 से ज्यादा मौतें सत्ता, न्यायिक व्यवस्था के गठजोड़ का स्याह चेहरा देख भी, अंधेरे भी दृंगता न्याय बढ़ता अन्याय अपराधी मक्ष फीक्षदी त्रक्ष

भोपाल 2-3 दिस. 1984 की रात हुए भीषणम हादसे जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 4 लाख से ज्यादा प्रभावित मर-मर कर जीने के लिए मजबूर हैं, बदले में 24 वर्ष बाद मात्र 6 आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा भी हुई तो भी मात्र रु. 24000/- के भुचलके पर कुछ मिनटों में ही छोड़ दिया गया।

यह प्रकरण राष्ट्र के न्यायिक इतिहास की धूर्तता, भ्रष्टाचार, निष्कल्लेपन का श्रेष्ठतम उदाहरण है। जहां 20,000 से ज्यादा की मौत और 4 लाख से ज्यादा जहर प्रभावितों जो जिंदगी को त्रासदी के रूप में मर-मर कर जीने के लिए मजबूर हैं उन्हें 24 वर्ष बाद भी न्यायलय ने घोर न्यायिक त्रासदी का एक और झटका दिया। जबकि इस मामले इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1987 के अंतर्गत भी घोर लापरवाही का मुकदमा भी कंपनी, उसके अधिकारियों आर तात्कालीन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा के भोपाल के उपसंचालक, निरीक्षण, संचालक पर भी कदाचार और लापरवाही के लिए चलाया जाना चाहिए था, पर उसका तो दूर-दूर तक नामोनिशान ही नहीं है।

दूसरी ओर गैस त्रासदी की 2-3 दिस. 84 के इस हादसे का समय महाधूर्त, मक्कार, नौटंकीबाज कांग्रेसी गिरोह का महालालची, चालबाज अर्जुन सिंग मुख्यमंत्री था, जिसने इस कांड में अरबों रु. डकार कर कंपनी से जो मामले को झुंडा करने और गैस पीड़ितों की



राहत के नाम पर अमेरिका से आया था, जानबूझकर प्रकरण उसी समय से ही कमजोर कर दिया गया था अमेरिकी डालर अमेरिका से लेकर दिल्ली और भोपाल के थानों से लेकर न्यायलय, मंत्रालयों संबंधित सभी अधिकारियों, पुलिस, जांच एजेंसियों केन्द्रिय जांच ब्यूरो केन्द्रिय श्रम मंत्रालय गृहविभाग तक में मांग और आकात से 90 गुना ज्यादा पैसा तक बांटा गया। इसलिए पूर्ण रूप से इतना ढिला प्रकरण बनाया गया, कि सभी छोटी मोटी सजाओं से नवाजे जा सकें।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था और न्यायप्रणाली में विश्व की भीषणतम सबसे बड़ी त्रासदी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा प्रभावित होने के बाद भी 24 वर्ष बाद पहला निर्णय दिया गया जो विलंब से न्याय विलोपित न्याय जिसे भाषा में डिले देजस्टिस, डिनाई दंजस्टिस का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें स्वयं केन्द्रीय कानून मंत्री की राजा मोडली ने भी टिप्पणी की, कि न्याय की आत्मा दफन हो गई। इसके पीछे का प्रत्यक्ष और परोक्ष सच यह है, कि पैसा बांट दो सत्ताधीशों की और हजारों, लाखों नहीं करोड़ों की मौत की नौद सुला दो। सब कुछ इतना लंबा खींच दिया जाएगा, कि अपराधी मस्ती से जिंदगी गुजार लेगा और फरियादी रोते-रोते मौत की नौद से जाएगा।

भारत की इस रेंगली न्याय प्रणाली शेष पृष्ठ 6 पर

पेट्रोल, डीजल, गैस पर अनुदान-कौन सा, कैसा अनुदान?

72 प्रश टेक्स, सड़कों पर टोल टैक्स वसूली

क्या अनुदान कांग्रेसी डकैतों के खाते में आ रहा है?

समय माया ने सन् 2008 में कांग्रेस केक सत्ता में आते ही प्रकाशित कर दिया था, कि भ्रष्ट सफेद पोश डकैतों का ये गिरोह पेट्रोल को रु. 70 और डीजल 40 रु. प्रतिलीटर, गैस 400 रु. प्रति सिलेंडर शकर 40 रु. तुअर दाल 900 रु. खने का तेल 90-100 रु. प्रति लीटर बेचेगा। अपनी डकैती वाली नीति पर चलकर शकर दाल ने तो समय माया के अनुमान पूरे करवा दिए सन् 2008 तक बातावती, अनुमान भी, प्रकाशित अनुमानों को पीछे छोड़ देंगे।

वेन्द्र सरकार में

पेट्रोलियम मंत्री शुरुआत से अभी तक मुंबई के सांसद ही क्यों बनते आए हैं? दूसरा जब राष्ट्र में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधि. 04 लागू हो चुका है, तो सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय धारा 8 की उपधारा ब के 97 बिंदुओं के अंतर्गत यह जानकारी पिछले 4 वर्षों से अभी तक क्यों नहीं डाल पा रहा, कि किस मात में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पेट्रो क्रुड खरीदा गया। किस भाव में उसका प्रसंस्कृत कर बाजार में बैचा जा रहा है। बाहर से कितना खरीदा जा रहा है और आखिर ये सारे डकैत पेट्रोलियम कंपनियों, भारत, हिन्दुस्तान और इंडियन आइल जब सरकारी कंपनियां हैं, तो सच-सच जानकारी जनता को बताने में क्या तकलीफ दे रही है।

रिलायंस केक अंबानी बंधु, अनिल और मुकेश के इशारे पर पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय का भ्रष्ट गुलाम

सरदार मनमोहन, पेट्रोलियम मंत्री, जगदीश देवड़ा क्यों नाच कर उनके फायदे के लिए कामकर रहे और राष्ट्र की जनता को क्यों लूटने और भभित करने में लगे हैं। अपनी लूट खसौट और वसूली के लिए साल में 2-2 बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाते हैं और फिर चिल्लाते हैं। कि सरकार अनुदान दे रही है। तो सफेद रही है। परंतु स्वास्थ्य विभाग में फैला भ्रष्टाचार वसूली और लूट खसौट

इसे शीघ्र ही कबाड़े में बदल देगा जैसा कि दूसरी सरकारी एं बूलों स व्यवस्था में वर्तमान में हो



रहा है। एंबुलेंस वर्षों से कबाड बनी खडी है इसके विपरीत उसके डीजल और रख रखाव के बिल बराबर बन रहे हैं। लॉज बुक मरीजा रही है और मरीज व परिजन का लाना लेजाना कागजों पर ही संपन्न हो रहा है।

वर्तमान में कंपनियों की व्यवस्था के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा, पानी की सुविधा के साथ शौचालयों मूत्रालयों और स्नानांगार की व्यवस्थाओं अनिवार्य है। परंतु 90 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा पानी की व्यवस्था ही नहीं है अन्य सुविधाओं की बात तो बहुत दूर है। नए 4-90 वर्षों में खुले पंपों पर वाहन चालकों की सुविधाओं के लिए मूत्रालय-शौचालय स्नानांगार तो बने हैं परंतु पंप मालिक उनका ढंग से रखरखाव नहीं करते हैं। इसके विपरीत अधिकांश शहरीय पंपों पर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मानव गलतियां करता है, मशीने नहीं- विमान दुर्घटनाएं नागरिक उड्डयन पूर्णतः जिम्मेदार, सब भ्रष्टाचार का शिकार

भारत हवाई हादसों का गढ़ बन चुका है। जिसके मूल में हैं घोर भ्रष्टाचार और लापरवाही। भारत में नागरिक उड्डयन विभाग की सारी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जिसके अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, प्रशिक्षण, वायु यातायात नियंत्रक आदि सब ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। सभी लगातार हो रही विमान दुर्घटनाओं के पीछे घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार ही है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, विमान चालकों का प्रशिक्षण सन् 2000 के पूर्व तक व्यावसायिक विमान चालक अनुज्ञापति के लिए न्यूनतम 300 घंटे की स्वयं की उड़ान प्रशिक्षक और परीक्षा के समय मुख्य उड़ान प्रतिशक के साथ 240 घंटे दिन और 60 घंटे रात्रि उड़ान अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाती थी जिसे घटाकर 200 घंटे कर दिया गया। स्वाभाविक है कि 200 घंटे की उड़ान में प्रशिक्षक

विमान चालक रेडियों कम्युनिकेशन, नेवीगेशन, मौसम मिजाज, उड़ान



मशीन का व्यवहार उतरने की बारीकियां आद ढंगसे नहीं सीख पाता। दूसरे किसी भी व्यातः विमान

को स्वतंत्र रूप से उड़ाने के लिए न्यूनतम 200 घंटेदो इनि के विमान

300 घंटे रु. 24 लाख और पढ़ाई व रहने का खर्च साथ ही नागरिक उड्डयन हर 6 माह में पीपीएल और सीपीएल की सैद्धांतिक 2 विषयों की परीक्षाएं लेता है। उसमें भी न केवल भ्रष्टाचार पहुंच, भाई भतीजावाद, रिश्तेनाते और धन का लेन-देन करके पास किए जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस के बेंगलूर हवाई दुर्घटना में जो समाचारों का बाहर नहीं आने दिया गया उसके मूल में विमान चालक पूर्व रूप से दोहरे इंजिन के जहाजों को चालने का 200 घंटे उड़ा का न तो अनुभव रखता था। न ही विमान का कंट्रोल वार थामने के पूर्व उस विमान की यांत्रिकीय व्यवहार का मैनुअल का अध्ययन किया था। तीसरा न ही रेडियों संवाद में उसकी दक्षता थी और चौथा उसका नेवीगेशन भी कमजोर था। 4वां उसने जमीन छूने के पूर्व मानवीय व्यवहार के अनुकूल रात्रि के अंतिम प्रहर में (शेष पृष्ठ 2 पर)

संपादकीय

जन मरेंगे, तो ही गण चरेंगे

राष्ट्र की भ्रष्ट, ढीली और पंगु न्याय प्रणाली, उस पर गण भ्रष्ट श्रेष्ठ, उस पर जन सुरक्षा, का ब्रह्म वाक्य गाने वाली पुलिस, श्रेष्ठ भ्रष्ट गणों की शासकीय प्रथम उपयोगी सुरक्षा वन कर रह गई हो, तो जन सुरक्षा गौण हो गई।

२०००० से ज्यादा मौते, ५ लाख से ज्यादा पीड़ित गणों की चर नोई बन गई। २६ वर्ष से जन की मौतें और पीड़ा गणों के लिए श्रेष्ठ आय का स्रोत बनी रहे। गण कमीशन चरते रहे न्याय खिसकता रहा, जन सिसकते रहे, जब न्याय हुआ तब तक अपराधीशों को जेल की और घर की रोटी के अर्थ औचित्यहीन हो चुके थे, तो अपराधी श्रेष्ठाम भोग चुके थे और मृत्यु के इंतजार में थे और कुछ मर ही गए थे। ब उनकी मृत्यु घर की शय्या पर हो अस्पताल की या जेल की। व्यर्थ हो चुकी थी। २०००० मौतों से भी सबक लेने की तो दूर, अपने स्वार्थ की वशीभूत हो मात्र कमीशन के लिए परमाणु समझौता कर परमाणु प्लांटों और युरेनियम का सौदा और कर लिया। समय बाधित प्लांट जो रेंडियो एक्टिव तो ही चुके हैं साथ ही अमेरिका और युरोप उसके घातक परिणामों की वजह से ही उस घातक कचरे को हटाना ही चाहते थे। भ्रष्टगण श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मनमोहन उसे खरीदने के लिए ताकि अरबों रु. का कमीशन मिल जाए। बैचन है। ताकि जन मरते रहे और गण चरते रहे। मौज करते रहे।

अमेरिकी बीटी कॉट से लाखों किसानों ने पूरे देश में लाखों किसानों ने मौत को गले लगा लिया। राष्ट्र की कृषि फसलों के मूल जैविक गुण दोष ही बदल दिए गए। उसी अमेरिका ने बीटी और जीएम बीजों को विकसित करने वाली मांसटों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया पर हमारे गणों को चरने के लिए जनों की मौत से बेखबर उन्होंने राष्ट्र में बीटी और जीएम बीजों का जाल फैला दिया। उससे न केवल कीट पंतंगे मरे वरन पर्यावरण सुधारने वाले सांप, मेंढक से लेकर सैंकड़ों प्रजातियों की कीट भक्षी चिड़ियों से लेकर अन्य की पर्यावरण हितेषी कीट भी साफ हो गए। पर हमारे जन के गणों को इससे कोई सरोकर नहीं। हमारे गणों को जन का भविष्य नहीं स्वयं का वर्तमान दिखता है। इसके बदले में तो २-५-१० नहीं वरन सैंकड़ों, हजारों, लाखों की मौत से भी परहेज, नहीं करते। शायद इस राष्ट्र की उर्वरा भूमि का दुर्भाग्य ही है। कि उसकी धरती पर घोर स्वार्थी गणों की फौज अतीत वर्तमान में भी लहलहा रही है।

इस वर्तमान को देखकर आजादी के योद्धाओं भगत सिंग, सुभाष सुभाष चंद्रबोस लक्ष्मी बाई, महाराणाप्रताप शिवाजी की कहानियां काल्पनिकता लगती हैं। २००० की मौत और ५लाख से ज्यादा पीड़ित फिर भी यूनियन कार्बाइंट की २२०० टन मिश्र इंदौर के पीथमपुर में दफनाने की तैयारी पूरी। वहा की मौतों से सत्ताधीशों, न्यायाधीशों को चेन नहीं पड़ा। जबकि पीथमपुर रेमकी इवापरो का वेस्ट मेनेजमेंट प्रोजेक्ट किसी भी काम का नहीं। फिर वह जिस पीथमपुर की पहाड़ी पर बना है। वहां से निकलने वाला नाला चंबल में, और चंबल इटावा में गंगा में मिलती है जो उग्र, बिहार और बंगाल होती हुई समदर में मिलती है, अर्थात् जलाने या भिन्न दफनाने के बाद भी वो जहर लगभग २०००किमी लंबी चंबल और गंगा नदियों में क्रियाशील होने पर जलीय, थलीय ओर नमकर करोड़ों की मौत का कारण बनेगा जब जन मरेंगे तभी तो सत्ताधीशगण चरेंगे।

प्रथम पृष्ठ का शेष
नागरिक उद्घुयन

आया नींद का झोंका सभी सहयात्रियों की मौत के मुंह में ले गया सह विमान चालक जो कॉकपिट में था। तो गहरी नींद के झोंके में होने के कारण सहचालक की गलतियों पर नियंत्रण न रख सका जो सभी यात्रियों की मौत का कारण बना, अपवाद स्वरूप कुछ जीवित बच गए।

वायु यातायात नियंत्रक ने जो अंतिम बार जहां से उड़ान भरी थी इन सब झूसे तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया ये सब कार्य विमान उड़ान से पहले हर हवाई अड्डे पर देना होता है जिसमें मुख्य चालक और सहचालक के पूर्व की उड़ान के अनुभव तक की विवरण होता है। यातायात नियंत्रक को थोड़ा भी संदेह होता है। तो वह विमान को उड़ान भरने की इजाजत ही नहीं देता है। इसके विपरीत ये हादसे क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हर कंपनी में पूर्ण प्रशिक्षित विमान चालकों की न केव भारी कमी है वरन पूरे भारत के सभी प्रशिक्षण संस्थान न केवल भारी जालसाज, वरन प्रशिक्षणार्थियों को लूटने और वसूली करने के लिए जालसाजी पूर्ण सारे हथकंडे अपनाते हैं। जिस पर नागरिक उद्घुयन में प्रशिक्षण की दुकानदारी सजाए बैङ्के अधिकारी इन संस्थानों को धनके बदले आंख मीच कर संरक्षण देते हैं। जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उज्जैन का यश एयर वेज, इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन के बेटों की बपौती बन चुका मप्र फ्लाईंग क्लब, यश का हाल ही में एक विमान सूखी क्षिप्रा में गिर चुका

है। उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई थी और प्रतिबंध के बावजूद उसकेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू है। यश टोंग्या और मरत टोंग्या दोनों बाप-बेटे न केवल भारी जालसाज हैं। इसके पूर्व इंदौर में भी झुगी कर चुके हैं। मप्र नागरिक उद्घुयन मंत्रालय को तत्काल इन से दताना की पट्टी खली करने का नोटिस दे देना चाहिए था क्योंकि भरत टोंग्या ने हर किसी को पैसा बांटा है। जब ऐसे जालसाज उड़ान प्रशिक्षण देंगे तो मंगलोर जैसे कांड होना स्वाभाविक ही है।

मशीनों को मनुष्यों ने जैसा बनाया। वो वैसे ही काम करती है। तो गलतियां नहीं करती। गलती करते हैं उनको संचालित करने वाले मनुष्य उसे जैसे चलाया जाएगा उसकी आदत और कार्य के अनुसार वैसे ही चलेंगी दूसरा भारत में अधिकांश विमान कंपनियों के पास विदेशी कंपनियों के अपनी आयु और कार्य सीमा पूर्ण कर चुके विमान हैं। फिर हर विमान के मैन्युअल के हिसाब से उसका रख रखाव, साफ सफाई, स्तर का ईंधन, तेल आदि किया जाना चाहिए जिसमें न केवल अधिकांश निजी कंपनियां वरन इंडियन एयर लाइंस भी समय पर मैन्युअल के हिसाब विमानों को खोलकर इंजिनों की साफ-सफाई, तेलपानी, टायर बदलने आदि तक का कार्य, पैसे हड़पने, यात्रियों के दवाव और लापरवाही के चलते नहीं करते हैं। जिसका परिणाम होती है।

विमान उतारते समय हालही कई विमानों के टायर फट गए और भारी दुर्घटनाए होते-होते बच गई उसके पीछे कारण होता है। विमानों को उतारते

सवर्णों, दलितों दोनों का हक व भविष्य बर्बाद कर रहे
आरक्षण का लाभ लेने वाले ७० प्रश फर्जी
जालसाजों की संपत्ति जप्त कर, सीधे जेल भेजो

पूरे भारत में शासकीय घन और सुविधाओं का सबसे ज्यादा सदुपयोग शासकीय भ्रष्टचार और जालसाजियों के चलते आरक्षण के नाम पर फर्जी जो न तो आदिवासी हैं और न ही अनुसूचित जाति के, सामान्य वर्ग के होने के बाद भी, आरक्षण का भरपूर लाभ उड़ाया और उड़ा रहे हैं।

शासकीय अनु जाति/जनजाति की न केवल स्कूली छात्रवृत्तियों से लेकर उच्चशिक्षण संस्थानों में आरक्षित के नाम पर कम अंकों पर भी प्रवेश लेकर छात्रवृत्तियों को वसूला उत्तीर्ण होने के बाद नौकरियाँ प्राप्त की और म.प्र. में तो नौकरियों के बाद दूसरों की अपेक्षा तीन गुना तेजी से पदोन्तीय भी प्राप्त कर ली जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति प्राप्त पद पर ही नौकरी के ३०-३५ वर्ष पूरे होने पर सेवा निवृत्ति हो गई, पर इन फर्जी आरक्षित वर्ग का लाभ उड़ाकर ये खानों की फौज अपने २०-३० वर्ष वरिष्ठों को पीछे छोड़कर उच्चतम पदों तक पहुंच गये, ऐसे जालसाज अपने से वरिष्ठों के साथ कैसे वतमीजी से प्रेश आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वर्तमान में प्रमुख अमियंता पद पर बैज्ञा म.प्र. जलसंसाधन विभाग का भ्रष्ट श्वान खेमचंद प्रजापति जिसने अपने हाथ से ही जाति प्रमाण पत्र में हेराफेरी की जो स्पष्ट है, इसके दम पर इस हरामखोर ने जो कि इटारसी का रहने वाला है जहाँ पर इसका पूरा परिवार फशतैनी रहता आया है और वर्तमान में रह रहा है, जबकि इटारसी में प्रजापति अनुसूचित जनजाति में मान्य हो नहीं है, छतरपुर से अपना जाति प्रमाण पत्र किसी जात के सरपंच से बनवाकर, उसने शिक्षा प्राप्त करते हुये लाखों रु. की छात्रवृत्ति जालसाजी से हड़पी इसके बाद इसी देने पर इंजीनियरिंग पास की और बाद में आरक्षित वर्ग के दम पर ही नौकरी से साधारण सहा. अभियंता से प्रमुख अमियंता बन गया जबकि इसके साथ पीएसपी में लगे कई इंजिनियरिंग को सहायक से कार्यपालन यंत्री तक की एक पदोन्नति भी नहीं मिली, कुछ तो सेवानिवृत्ति के नजदीक ही पहुँच गये, वर्तमान विभागीय इंजिनियरों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि ये जालसाज शूकर अन्य सभीसहकर्मियों को भारी बतमीजी पूर्ण तरीके से उंता फटकरता है। इस हरामखोर की न केवल सारी संपत्ति राजसाज की जानी चाहिये वरन् ९ वी से मिली छात्रवृत्ति से लेकर कालेज तक की सारी छात्रवृत्ति की वसूली भी की जानी चाहिये १८ प्रतिशत ब्याज

समय पूरा विमान का वजन और सीमेंटकी पट्टियों पर टायर सबसे ज्यादा तेजी से घिसते हैं। जरा सभी कमजोर पड़ने पर उतरने समय फुट जाना आम है। परंतु समय रहते बदल दिए जाने पर दुर्घटनाए टाली जा सकती है जो हमेशा होता नहीं और उतरते समय रगड़ खाकर टायर फट जाते हैं। इस तकनीक को बदल कर कम से कम विमानों में ट्यूबलेस स्पॉज रबर के झुंसे टायर डाले जाने चाहिए ताकि उतरते समय कभी टायर न फटे बेशक वर्तमान टायरों के वजन से दुगुना हो जाएंगे।

एयर ट्राफिक कंट्रोल में भी भ्रष्ट और निकमों की फौज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, जैसे विमान पतनों से लेकर इंदौर भोपाल जैसे अड्डों पर भी विद्यमान है। इन्हें अगर महीना न मिले तो ये जहाजों को अड्डा और

के साथ इसके साथ इंजिनरिंग डिग्री को भी रदकिया जाना चाहिये और इसके साथ नौकरी में आये सवर्णों की तरह सहायक अमियंता के पद से प्रमुख अमियंता तक ज्यादा मिले वेतन के लिये इसके नाम की पुश्तनी संपत्ति को बेचकर जप्त किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार मीणा म.प्र. में विदिशा जिले की सिरॉज तहसील में ही आदिवासी वर्ग में आते हैं बाकी सारे हरामखोर जालसाज मीणाओं को मिले आरक्षण केवल जालसाजियों ही है।

तत्काल प्रभाव से सारे अन्य रोगों के मीणाओं को म.प्र. की सरकारी सेवाओं में मिले सारे आरक्षण के लाभों को निरस्त करते हुये इनकी संपत्तियाँ भी जप्त की जाकर इन सबकों भी जालसाजी और ४२० में जेल में सड़ाया जाना चाहिये ताकि अन्य ऐसे ७० प्रतिशत झूड़े प्रमाणपत्रों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे से लेकर शासकीय पदों पर बैङ्के जालसाज शूटरों को नसीहत मिल सके, म.प्र. जनसंपर्क में कार्यरत रामचंद मीना उपसंचालक भोपाल म.प्र. लोक निर्माण विभाग सं. २, इंदौर और म.प्र. जलसंसाधन विभाग इंदौर संभाग में कार्यरत धारासिंग मीना जैसे शूटर जो न केवल जाल जाति प्रमाणपत्र के दम पर छात्रजीवन में लाखों की छात्रवृत्तियाँ इकटार गये अब शासकीय नौकरियों में आकर भी करोड़ों रु. के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं कोई इन हरामखोरों से कुछ कहता है अनुजाति जनजाति अधि. की धमकी देकर अपने वरिष्ठों पत्रकारों को धमकाते हैं। ज्यादा लुछ ज्यादा पूछताछ की तो एससीएससी एक्ट में अंदर करवा देंगे। जबकि ऐसे शूटरों की फौज खुद जाति प्रमाणपत्रों के दम पर शासकीय जनता के घन के दम पर मौज कर रही होती है।

ऐसे लाखों प्रकरण पूरे देश के हर राज्य और के नुशासन के विभागों में भरे पड़े हैं जिनमें आरक्षित वर्ग का फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर लाभ लेकर नौकरियाँ प्राप्त कर ली और जैसे ही प्रकरण की भनक लगी और सच्चाईयों को सामना आता देख बंदो ने सेवा पुस्तिका ही गायब करवा दी जाति प्रमाणपत्रों को फाड़ दिया या सेवा पुस्तिका में से पहले पन्ने ही गायब कर दिया गया ताकि सबूत मिट जाय, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूरे राष्ट्र के सभी जिलों के जिलाधीशों को आदेश देकर सभी विभागों में जाँच के लिये कहाँ था राज्य सरकारों के

जिससे सत्यता में ७० प्रतिशत जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाये गये अर्थात् सबसे पहले इन हरामखोर जालसाजों ने अनु. जाति जन,जातियों का हक मार कर पद हथियाये।

दूसरी तरफ सवर्णों को पीछे धकेलते हुये दुगुनी, तिगुनीतीक्रम से पदोन्नतियाँ भी प्राप्त कर ली। आखिर इन हरामखोरों को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शिवराज और अंशु वैश्य कितने करोड़ रु. महीने की रायल्टी वसूलकर वर्षों से बचा रहे हैं। जबकि अनु.जाति जनजाति आयोग ने भी इन जालसाजों को तत्काल प्रभाव से बाहर करने और यह जालसाजी शासकीय पदों पर नियुक्ति और पदोन्नतियाँ प्राप्त करने के लिये महिला पुरुष सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने ही नहीं वरन चुने गये प्रतिनिधि हो जिसमें पंचो-सरपंचों से लेकर पार्षदों, महापौर, विधायकों और सांसदों के स्तर के चुनावों में भी जाली प्रमाण पत्र के साथ उम्मीदवारी प्राप्त कर चुनाव जीत कर इन चुनी हुई संस्थाओं में भी पद हथिया लिये।

सवर्णों में ब्राम्हण बतियों की तुलना जो शूटरों से की गई है और कहावत है, कि वामन वानिया और शकरा जाति देख गुरीय ये सवा आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और अह के कारण एकजुट नहीं हो सकते कभी इसलिये ही इन सतार्भी मानसिकता के कारण इन्होंने हजारों वर्षों की न केवल गुलामी झेली वरन वर्तमान में भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने में भी नकारा निकम सिद्ध, सिद्ध हो रहे हैं जिसका फायदा न केवल राष्ट्र की सभी राजनैतिक पार्टियों और नेताओं के साथ सत्ताधीश भी उड़ा रहे हैं। इन फोर स्वार्थी अगड़ी जाति जिनमें ब्राम्हण वानियों, वालों झुंकेरों कायस्थों जैनी न केवल अपना मूल, वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर बैङ्के हैं। वरन् अपनी आने वाली पार्टियों का भी वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। अभी भी वक्त है, सत्ताधीशों और राजनैतिक पार्टियों की तरफ मुँह ताकना बंद कर अपने अधिकारों की मांग करे, और फर्जी जाति प्रमाणपत्रों और अधिकारियों के विरुद्ध दस्तावेजों में हेरा फेरी ४२०, शासकीय घन का दुरुपयोग के मुखद में चलवाकर इनकी सारी संपत्ति प्राप्त वेतन और सुविधाओं की वसूली करवाकर १००-४० को जेल में सड़ाये।

दूसरी और अनु.जाति जनजाति संग्रहण भी इनके अधिकारों को छीनने के आरोप में उपरोक्तानुसार मुखद में चला सकते हैं। ताकि वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

पृष्ठ १ का शेष
भोपाल गैस

का ही परिणाम है, अन्याय और भ्रष्टाचारने चारों तरफ तेजी से पैर पसार लिए हैं। अरबों रु. रोज की सेल फोनों के माध्यम से डकैती डालने वाले टाटा, बिरला, अंबानी, बीएसएनएल, भारती, एयरटेल १ अरब से ज्यादा फोन और मोबाइल धारकों को बेईतहा लूटने के बाद भी बैखोफ दुनिया के अरब पतियों की श्रेणी में बँद कर शान से जिंदगी जी रहे ह उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अब जब ये २०००० की मौत और ५ लाख से जिंदगीयों को सांसों से विषपिलाकर जिंदगी को त्रासदी बना देने वालो को २५ वर्ष बाद भी नाम मात्र की सजा मिली जिसकी हाईकोर्ट और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमें लड़ते-लड़ते जिंदगी पूरी हो

जाएगी, अपराधी शान से जिंदगी गुजार लेंगे।

इस निर्णय ने दुनिया को भारतीय सत्ताधीशों, न्यायिक व्यवस्था और जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार में डूबे स्याह चेहरों की सच्चाई सामने रख दी है, कि कैसे इन धूर्त तिकड़ी को खरीद कर आप सब कुछ करें, हजारों को मौत दे लाखों को घायल अंदर बाहर से, जिंदगी को त्रासदी बना दें कोई कुछ भी नहीं करेगा, वरन उन्हें बचाने उनका व्यसाय बढ़ाने के लिए भ्रष्ट सत्ताधीश उल्टे हो, कानून बना देंगे, जैसे टाटा के आयोडीन नमक बँचने और आयोडाइड नमक पर एकाधिकार के लिए धूर्त सत्ताधीशों ने आयोडाइड नमक कानून ही लागू कर दिया, जबकि पूरे भारत में १३५ करोड़ लोगों में से २५ लाख, हिमालय की तराई और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों की आबादी के लिए ही उपयोगी होता है। जिसे अभी तक न्यायालयों में किसी ने नहीं उड़ाया, जबकि दूसरी और शरीर के लिए आयोडीन ०.००५ प्रतिशत मात्रा भी घातक सिद्ध हो सकती है। इसके विपरीत ४० वर्षों से अपने टाटा से मिलने वाले कमीशन के लिए पूरे भारत की जनता का आयोडाइड नमक खाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

हल्के घातक रसायन और कीटनाशक युक्त कोकाकोला, पेप्सी, थम्सअप, ड्यु, लिम्का, आरेंज, मिरिन्डा जैसे अनेकों पेय पदार्थों को जनता को बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से बेचा जा रहा है। जब सन २००६ में ये सत्यता सामने आई तो इन कंपनियों ने भारत के स्वास्थ्य विभाग औषधि एवं खाद्य प्रशासक को खरीदकर संसद में कानून ही पास करवा लिया कि घातक, रसायनों चुंकि इस कांड में वाशिंगटन से लेकर दिल्ली और भोपाल के सभी शासकीय अधिकारियों को आँकात से १० गुना डालर मिले तो स्वं भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वारेन एंडरसन को भारत बुलाया और अमेरिकी सरकार से प्रत्येण की बात और पत्राचार तक नहीं किया, भारत के अखबारों, मिडिया में केवल खेखली खबरें उड़ाते रहे, जैसा कि हेडली के मामलों में भारत में वर्तमान में हो रहा है। सीबीआई व भोपाल के न्यायालयों ने तब न तो वारंट जारी किए न ही उसकी गिरफ्तारी लिए अमेरिका को लिखाई क्योंकि उन २०००० लोगों की लाशों पर सबको जोरका दिख रहा था, इसलिए ये जानबूझकर उसे बचाने और प्रकरण को कमजोर बनाने के लिए पूरे प्रयास हुए हैं जो भारत सरकार के भ्रष्टों की नपुंसकता का विश्व के सामने खुला दस्ता वेज बन चुका है। कि निश्चित सीमा में शरीर में सुरक्षित बताकर कानून है। पास करवा लिया, इन्हीं कीटनाशकों के धोलों को पीकर पूरे भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अब जहर पिलाने के लिए भी कानून ही पास हो गया यह सिद्ध करता है, कि कैसे हे हमारे सत्ताधीश जिन्हें दुकड़ा डालों और वैज्ञानिकता के साथ जहर बँचो, मरने वाले कल के मरते आज मरें, कोई चिंता की बा नहीं, ये भी हमारे सत्ताधीशों की भ्रष्ट मानसिकता का स्याह चेहरा विश्व के सामने लाती है।

न्यायिका व्यवस्था के भ्रष्टाचार का वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जीबालकृष्ण भारत के समाचार पत्रों में आइकॉन बने हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी के २५ वर्ष बाद आए भारत की सत्ता, न्यायिक प्रणाली जांच एजेंसियों ने मिलकर दिए निर्णय ने अपनी विश्व में भ्रष्टाचार की श्रेष्ठता के साथ ही उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को १३५ करोड़ भेड़ों के देश में जहर के व्यवसाय के लिए खुला आमंत्रण दिया है।

बीओटी की सड़कों पर सरकार और ठेकेदार का तांडव

बपौती नहीं बीओटी सड़कें ठेकेदारों की

सारे कुकर्म करेंगे सूचना अधिकार में जानकारी नहीं देंगे

इंदौर, म.प्र. सड़क विकास निगम की स्थापना करके मप्र. सरकार ने उस समय तत्कालीन मु. मं. दिग्गी दानव, और वर्तमान शि.श. चौहान ने सड़कों से मासिकतिमाही ओर वार्षिक अपनी कमाई की व्यवस्था के लिये जनता को लुटने के लिये छोड़ दिया।

इंदौर एदिलाबाद चंद कि.मी. अशोका बिल कौन को ३३ प्रतिशत अनुदान देकर सौंपी थी, बदले में भाग सड़कों के रखरखाव और यातायात के लिये सुरक्षित, स्तरीय, सड़कें जनता का नामभाग शुल्क देकर, उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी। जिसने पिछले ७ वर्ष में जनता जो एकहरी थी २ लेन करने की सुध उस हरामखोर को ७ वर्ष बाद ला रहा है।

उस समय के तत्कालीन भ्रष्टों ने ३३ प्रतिशत अनुदान जनता के पैसों से दिया और मात्र १ प्रतिशत राजस्व तुल्य राजस्व में से प्राप्त करने का अनुबंध किया ताकि आराम से सड़क विकास निगम के धूर्तों जो इंडियन एब्जूसिंग सर्विस अधिकारी होता है। एम डी. लो. नि. म. और मुख्यमंत्री को आसानी से २५ प्रतिशत तक हिस्सा प्राप्त हो सके। इसका



साथ ही शासन को कुल कमाई का लेट टेक्स सर्विस शु. टेक्स, आयकर भी यथावत चुकाना है। दूसरी ओर सेवा शर्तों में यह भी था एक तिहाई हर वर्ष नवीनीकरण करण किया जायेगा ये अशोका बिल्डकों के धूर्त यह भी नहीं कर रहे हैं। बस गड्डे भराई कर रहे हैं। वह भी जब वाहन चालक गालियां बकने लगे, तो इनकी गैंग जाकर पेंच भराई कर देती है। नियमित ३३ प्रतिशत का हर वर्ष पुर्न नवीनीकरण तो दिलास्वप्न हो चुका है। जहाँ तक इंदौर में बेड़े संभागीय प्रबंधक का सवाल है तो ये हरामखोरों की फौज इन्हें न तो गिनती है, न इनकी सुनती है क्योंकि अशोका बिलकों के बंद सीधे एमडी, ला. नि. मं. और मुख्यमंत्री जैसे टुकड़खोरों का टुकड़ा डालकर अपना पालक श्वान मानते हैं।

दूसरी ओर कंपनी न केवल सड़क को अपनी बापौती मानती है। वरन् २०३ कि.मी. भी मान ले तो १८० कि.मी. सड़क के दोनों ओर १०-१० मी. अर्थात् ३०-३० जो सड़क दोनों ओर पेड़ लगे थे कं. ने दोनों ओर उन पेड़ों का संरक्षण करने और लगाने की अपेक्षा अधिकांश पेड़ों को बेंचकर कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हजमकर लिये वह भी राशि करोड़ों में थी, जब संभागीय प्रबंधक से इस संबंध में बात की तो उन्होंने सामु कह दिया अनुबंध में इसके संबंध में कोई शर्त नहीं है। जहाँ तक इंडियन रोड कांग्रेस

के माप दंडों का सवाल है। तो अनुबंध में इसकी भी कोई शर्त नहीं है। वहाँ कंपनी के अपने स्तर है जो गोपनीय है सूचना के अधिकार में नहीं दिया जा सकते, अर्थात् सार्वजनिक सड़कों पर ये शूटरों की फौज दोनों हाथ से लूट का तांडव करे, अनुबंध के अनुसार ३ वर्ष में ७ प्रतिशत शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये था। ७ वर्ष में ही कार की दरे रु. १७ से २५ प्रतिशत हो गयी जो लगभग ४६ प्रतिशत होता है। सुरक्षा के नाम पर भी बंदो ने सड़क के मोड़ों और सीधी प्लान वाले क्षेत्रों में अभी तक मजबूत लोहे के खंबे और पाइप या दीवारें नहीं बनाई जिनसे आये दिन भारी दुर्घटनाये होने के बाद भी निलमें शूटरों की फौज जागने को तैयार नहीं।

म.प्र. सड़क विकास निगम को

मस्ती से फुर्सत मिले तो जनता के दुख दूर करे, समझे कि सार्वजनिक सड़कें इस थी। ओटी के ठेकेदारों को सौंपकर शासन ने सड़कों का पूरा अधिपत उन्हें ही नहीं दिया है। जिस पर वे शासकीय भूमिपर अतिक्रमण करवा कर किसी से वसूलीकरे, वृक्षों के लिये दोनों तरफ की १० कि.मी. की आरक्षित भूमिपर वृक्ष लगाने की तो बहुत दूर उस पर लगे वृक्षों को अपनी बापौती मान काटकर बेंच दे, साथ ही उस भूमि पर मकान, दुकाने, फैक्ट्रीयाँ खड़ी करवा दे या उस भूमि पर खेती करवा कर किराया वसूल करे, जब इन सब की जानकारी मांगी जाये तो कानूनो की बलाये तक रखकर सरकारी सड़कों पर कमाई करने के बाद भी साफ मुकर जाये कि व्यावसायिक गोपनीयता का प्रश्न है।

बस इंदौर इच्छानुसार मार्ग पर जब शासन ने ३३ प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया था, तो उसकी राजस्व आय में कम से कम ३३ प्रतिशत आय का हिस्सा बयो नहीं मांगा गया जबकि शासन को कम से कम ५५ प्रतिशत आय मांगनी चाहिए २० प्रतिशत रख रखाव व्यय और मात्र २५ प्रतिशत आय ही उसको गिनती चाहिये

थी, क्योंकि इसने कोई सड़क का नता पुननिर्माण किया नहीं चौड़ाई दुगुनी की, क्योंकि सड़कें तो पहले से ही निर्मित थी फिर शासन ने वाहन चलने योग्य बनाकर दी थी। इसने वास्तविकता में अपनी जेब से १ प्रतिशत भी घन विनियोजित नहीं किया जो रु. ५० करोड़ का अनुदान दिया गया था। उसमें हो एक कोट मारकर वसूली शुरु कर दि गई थी। पर उस समय चूँकि दिग्गी ने ही अनुदान कि खाकर पूरा पैसा हरपतिया था। इसलिये मात्र राजस्व में २ प्रतिशत की आय ही शासन को देने का अनुबंध किया गया, जैसे दिग्गी की ये प्रदेश की सड़कें बापौती थी और सत्रा के भर में सूरदास अंधों केखेड़ी कांट रहे थे।

दूसरी ओर इस हमराखोर अशोका बिलकों के अशोक कटारिया यहाँ का धूर्त जालसाज प्रबंधक कांकरिया इस सड़क पर घन तो दोनों हाथ से लूट रहे हैं, पर किसी भी टोलबूथ ३ बैघ और २ अवैध पर कही मीन तो केन न एवटंस न मुक्त ड्डापानी शौचालय न मूत्रालय की व्यवस्था है, जबकि इन चुरकरो को ७ वर्ष से ज्यादा हो गये वसूली करते हुये न इसकी तरफ पूर्व के एमडी, सुधि मोहंती, आजमजदिया आतंकी सुलेमान और वर्तमान एमडी विवेक अग्रवाल ने अंगुली उड़ाई उड़ायेगे भी क्यों मासिक टुकड़ें फेंक कर ये खानों की फौज लूट के लिये स्वच्छ है।

पालते हैं सहकारी नगर निगम ग्रहस्त ग्राम निवेश

हजारों बाबी छाबड़ा है हर शहर में

भूमाफिया ही मोटाधन देते हैं, सरकारी माफियाओं को

इंदौर ले कुछ दिनों से मिडिया विशेष तौर पर दैनिक समाचार पत्रों का गर्म गुद्रा है। बाबी छाबड़ा, भूमाफिया जालसाज, फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने अस्पताल पर मनी सेंटर बनाने अवैध भूकब्जा करने चड़ा हड़पने एक ही प्लॉट को कई बार बेचने सहकारी गृहनिर्माण समितियों की जमीने, खरीदने बेचने जैसे कई मुद्दे हैं।

कालानी बिग बाजार, मंगलसिटी, मंगल अग्रवाल, चेंतक चेंबर, सेंटलमाल आर्विटमाल, अपोलो अर्केड, अपोला ऐ बेयर, दवाबाजार, बाईपास कटी कालोनियाँ ओमेक्स, १ सहारा सिटी सिल्वर सिंग्र जैसी सैकड़ों कालोनियाँ जिसमें राष्ट्रीय स्तर को कं. अन्सल, डीएलएफ, पार्श्वना बिल्डर्स से लेकर पलासिया नाले पर दोनों ओर तनी बिल्डिंग ८०० से ज्यादा कालोनियाँ, इन सबसे जुड़े कांग्रेसी भाजपाई सैकड़ों नेता सांसदों से लेकर विधायकों और पार्षदों तक ये सब भी तो बाबी छाबड़ा के ही भाई बंद हैं। आखिर मिडिया इतना निर्लचा क्यों हो गया कि उसे इन भू माफियाओं नेताओं के चुंगल में फंसी जनता के आंसु क्यों नहीं दिख रहे हैं। झूक है, बाबी छाबड़ा कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला जैसे नेताओं के मुद्दे राजनैतिक प्रतिक्रिया के चलते सुरेश सेङ्ग के कहने पर उड़ाये गये, तो हैं प्रेस के सखाओं कही तो थोड़ी सी ईमनदारी दिखाओं और इंदौर के सहकारिता में पंजीकृत सन् २००० तक पंजीकृत २७०० गृह निर्माण संस्थायें क्या सभी ईमानदार हैं ३३ प्रतिशत बेईमान हैं। जब मुदा गरम ही गया है, तो लगे हाथ सबको निपटाओं बाबी छाबड़ा कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला को ही क्यों मिडिया की आँखों का तारा बना रहे हैं, अगर ये अपराधी हे तो दूसरे लगभग १२०० कालोनी वाले सब पुण्यात्या है। क्या फिर जिस सुरेश सेङ्ग के कहने पर ये मुदा उड़ाया गया वहीं सुरेश सेङ्ग भी अपनी प्रेस मालवा मिल की जमीन पर ही चला रहे हैं। फिर भास्कर ने जो मांगलिया के नाले पर प्रेस खड़ी की है, अग्निबाण ने पूराने कई स्कूल

की जमीन पर जेल के बाजू में अपनी प्रेस खड़ी की है। अभय प्रशाल जनता से नई दुनिया पर सरचार्ज लगाकर वसूले गये घन से खड़ा किया गया है। अर्थात् फिर नईदुनिया मालिक अभय छजलानी की निगोह भी लालबाग पर लगी है। बस नहीं चला वरन् लालबाग में स्थित रनमबाग नई दुनिया का संग्रहालय या प्रेस कार्यालय बना लिया जाता प्रेस वाले अपनी कॉलर पर जमी गंदगी। दिल में छुपी जालसाजी भी देख लिया करें।

इस धरती पर ईमानदार तो हैं, जिसे मौका नहीं मिला जब भूमाफियाओं, अवैध निर्माण करने वाले, जमीनों पर कब्जे सेल सहकारिता, व अन्य सभी अधिकारी और इंजिनियर वसूली करके चुपचाप तान कर सो रहे होते हैं। वहीं हाल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इंदौर विकास प्राधिकरण, कलेक्टोरेट का कालोनी सेल सब धन डका कर अजगर की तरह, हजम होने तक अपनी कुर्सियों से लिपटे महीना पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं।

सहकारिता का अर्थ ही है। सहकारिता से डकारों पैसा चाहे सदस्यों का हो, या जनता का पदाधिकारी और सहकारिता विभाग के हरामखोर जालसाजों सहकारिता मंत्री से लेकर सहकारिता संचालक, संयुक्त संचालक, पंजीयक, सह पंजीयकों से लेकर, वहां बैङ्के महाधूर्त अंकेक्षकों की फौज ही न केवल सारे निर्माण सहकारी संस्थाओं, जिसमें सहकारी बैंक, सहकारी साख संस्थाओं तक के ठेके पर खातें बही का काम भी ठेकों पर चलता है और एक मुश्त वार्षिक राशि वसूल करते रहते हैं। चलता है फिर इस विभाग के बाबु चपरासी भी कम खुदा नहीं होते सारे झूठे चुनाव करवाने व उसकी खानापूर्ति करने लिफाफे खाली भेजने तक का ये उपक्रम सारे सहकारिता तक के धूर्त हो संपन्न करते हैं। जमीनों, कालोनियों की अनुमति, भूउपयोग परिवर्तन का काम जिलाधीश कार्यालयों में संपन्न होता है। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हे कालोनी सेल और भू राजस्व कार्यालय जिसमें पैसा आयुक्त लैंड

रिकार्ड ग्वालियर तक पैसा पहुंचता है। जिला स्तर पर जिलाधीश उप और सहा. जिलाधीश भी करोड़ों रु. उकारकर आंख मीच लेते हैं। फिर नगर निगमों के इंजिनियर कालोनी सेल, भी हेराफेरी से धन हजम कर बड़े-बड़े कांडों को अंजाम देते रहते हैं। नक्शे पास करने मंजूरी देने में ग्राम एवं नगर निवेश में भी बड़े धूर्तों की फौज होती है। आखिर अब जब पर कार्रवाई प्रारंभ हो ही चुकी है। तो ये टुकड़खोर निगम के, कलेक्टर्स, डिप्टी, एडिशनल कलेक्टर्स, ग्राम एवं नगर निवेश के सारे हरामखोर क्यों बचे हुए हैं। इन सबके विरुद्ध भी आय से अधिक संपत्ति, दस्तावेजों में हेराफेरी नियम विरुद्ध काम करने के भी मुकदमें चलाए जाने चाहिए इतनी बार इन धूर्तों के विरुद्ध न्यायालयों, उच्च न्यायालय न सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले दे दिए। कितनों को सीखचों के पीछे पहुंचाया गया। कितनों की संपत्ति कुर्क की गई। केवल बाबी छाबड़ा ही क्यों। उसको पालपोसकर बड़ा करने वाले सभी गिरफ्तार कर मुदकमें चलाए जाने चाहिए।

राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से लेकर इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर राष्ट्र के सभी ६०० जिलों और ३लाख गांवों तक हर जगह जमीनों के घोटालों के अंवार लगे हैं करोड़ों न्यायालीन प्रकरण इन हरामखोर शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जालसाजी का ही परिणाम है। यदि इन शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये बाबी छाबड़ा जैसे हजारों बाबी छाबड़ा हर शहर में पैदा ही नहीं होते। बस दो चार को अंदर कुछ दिनों के लिए अंदर करके ये नासूर शासकीय अधिकारियों के पाले पोसे और बड़े किए हुए समाप्त हो जाएंगे।

सारे मूल की जड़ में हैं सभी सत्ताधीश अधिकारियों नेताओं का भ्रष्टाचार जो हर कदम-कदम छाया हुआ है। फिर इस देश में तो क्या कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम वरन प्रधानमंत्री तक बिकाउ है। खरीदार चाहिए। फिर जो करना है बड़े शान से कीजिए।

पंथ पिपलई, सांवेर धरमपुरी, बाईपास क्या-२

३ गाँव के व्यापारियों का बाईपास

इंदौर-उज्जैन ४ लेन बीओटी सड़क निर्माण में सांवेर एसडीएम पवन जैन, मप्र सड़क विकास निगम के संचालक प्रबंधक आर के बैच और ड्रैफ्टिंग वराह इंफ्रास्ट्रक्चर व ग्राफर जैसे हरामखोर अधिकारियों और ड्रैफ्टिंग की उक्त सड़क बर्पाती है। जिन्होंने सड़क निर्माण के ड्रैफ्टिंग में सड़क बनाते समय पंथ पिपलई, सांवेर और धरमपुरी के सड़क के दोनों ओर के व्यापारियों से जमीन छोड़ने या अधिग्रहण के मुआवजे में इन धूर्तों को ५० प्रतिशत तक धन न दिए जाने के कारण जो बदला लिया जा रहा है उसके चलते इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के तराहों की फौज ने उन गांवों के रास्तों ही बंद कर दिए, ताकि कोई भी नया पुराना वाहन चालक चाह कर भी उन गांवों की तरफ न मुंह भी न किया गया है वहीं हाल सांवेर और धरमपुरी के गांवों का भी होगा। दूसरी ओर खुदाई और भराई में

जैसे व्यस्त माग को जेल से दूर ही होना चाहिए था ताकि भविष्य में कैदियों को बाहर निकलते ही तुरंत उड़न छू होने का मौका न मिल सके, अच्छा है कि वो मप्र गृह निर्माण के मंडल के भ्रष्टों और जेल प्रशासन ने अभी आपत्ति दर्ज कराएंगे। क्योंकि जो जेल सन् २००५ में बन जानी चाहिए थी वह १० तक भी पूरी बन कर चालू नहीं हो सकी है। तो मात्र भ्रष्टाचार और लागत बढ़ोगीकर धन कमाने के लिए ताकि अंतर की राशि में से धन बटोरा जा सके। जहां जरूरत थी वहां तो मार्ग परिवर्तित करके बनाने की अपेक्षा जानबूझकर तोड़फोड़ कर सड़क बनाई गई और जा रही है।

परंतु जिन गांवों में बाईपास की जरूरत नहीं थी वहां न केवल बाईपास बनाए गए साथ ही उन गांवों से मुख्य मार्ग को अलग कर बंद करने की भी साजिश रची गई तो मात्र



जो ४-४ तल से सड़कों को उपर बनाया गया है परंतु भराई काम मशीनों से किया अवश्य गया है परंतु भराई के समय हर १ फूट भराई करके पानी डाल कर दबाया भी ढंग से नहीं गया है। नीचे काली चिकनी मालवी मिट्टी से भराई की गई है तो तीन चार बरसात में ही धसने लगेगी, पुलियों के निर्माण में सांवेर क्षिप्रपर जहां १ फूट कांक्रिट की छत बनाई जानी चाहिए ७-८ की ही छत डाली जा रही है, जो ५-७ वर्ष में वाहनों के भार से चटकने और टूटने लगेगी चूंकि लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट इंजिनियर जो स.वि.नि उज्जैन का संचालक प्रबंधक है। टुकड़े खाकर जो जैसा चल रहा है चुपचाप देख रहा है। दूसरी ओर यदि पंथ पिपलई, सांवेर और धरमपुरी जैसे छोटे से गांवों में तो बाईपास बना दिए गए और सड़क की लंबाई में ५ किमी लगभग तक बढ़ा दी गई। जबकि अनेकों गांवों में अनेको मकानों को तोड़कर उनकी दीवारों से बनाकर सड़क बना दी गई जिसमें नावदा पंथ, करमेता के साथ ही इंदौर १४ किमी से पहले मुख्य परिवर्तन क्यों नहीं किया गया ताकि अरविदों रेवती रेंज, जीएसआईटीएस कालेज और नई बन रही जेल की सुरक्षा के साथ उस आने वाले बिमारों, उनके सहयोगियों, वहां पर चलने वाले कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा भी की जा सकती थी जबकि जेल मुख्य सड़क से दूर ही होनी चाहिए इंदौर, उज्जैन

मुआवजे की राशि हड़पने, तीनों गांवों के सड़क किनारे बैङ्के हुए दुकानदारों की रोजी रोटी चौपट करने, और जहां से बाईपास निकाले गए बाईपास के दोनों ओर नेताओं द्वारा खरीदी गई जमीनों के भाव बढ़ाकर फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि वो आसानी से वहां कालोनियां काट सके। कई गुना धन कमा सके।

मप्र की भाजपा सरकार में बैङ्के मंत्रियों विधायकों नेताओं ने स्वयं कहना शुरू कर दिया है, कि पांच वर्ष है। जितना, जैसे कमा सकते हो कमा लो क्योंकि शिवराज को शासन चलाने का अब मौका नहीं मिलेगा, भाजपा को अगले चुनाव में निश्चित तौर पर तख्ता पलट होगा, इसलिए सभी भ्रष्टाचारों पर शिवराज और उसके गण भाजपा के जन, चुप्पी साथे है इसलिए शासन तंत्र भी अपने वारे न्यारे करने में लगा है। जहां तक इंदौर के वर्तमान जिलाधीश का सवाल है। तो पुराने विद्युत वितरण कं. के शासन काल को देखते हुए ये भाजपा शासन में इंदौर का सबसे भ्रष्ट सिद्ध होगा। क्योंकि वितरण कंपनी में रु. ५ अरब से ज्यादा घोटालों को बंदे ने आंख मींच कर अंजाम दिया है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि सांवेर और धरमपुरी के बाईपासों में ले देकर गाल्फर सारा मामला झुंडा कर देगी। उज्जैन के एसडीएम का पंथ पिपलई का सवाल है। तो कहां भी टीम बदल दी गई है। फिर पंथ पिपलई का नेत्रत्व भी कमजोर है।

सूचना के अधिकार अधि. में आवेदन और अपील लौटाना

मप्र जनसंपर्क जालसाजों और कमीशन खोरों का अड्डा

बड़े मिडिया माफियाओं के सामने दुम हिलाना और छोटों को हड़काना, ५० प्रतिशत कमीशन दो और विज्ञापन लो

भोपाल। मप्र जनसंपर्क का बाणगंगा स्थित भोपाल मुख्यालय हरामखोरी, जालसाजों और भ्रष्टों का अड्डा बन चुका है। इन शूकरों को सूचना के अधिकार में जितने भी पत्र दिए जाते हैं। किसी न किसी बहाने वहां बैङ्गा लोकसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी उन्हें अपने ज्ञापन या पत्र लगाकर लौटा देते हैं। अभी तक कोई भी भोपाल का क्षेत्रीय जानकारी एकत्र नहीं कर पाया। उल्टे ही ये सरकारी विभाग होने के बाद भी धारा ८ व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला देकर पत्रों को लौटा देते हैं। इसके विपरीत दन हरामखोरों जालसाजों ने धारा ४ को उपाधारा ब के १७ बिंदुओं की जानकारी जिसमें किसको कितना धन बांटा गया की अभी तक जानकारी नहीं डाली गया। जबकि जहां बैङ्के धूर्तों की ये फौज रु. ५०० करोड़ प्रतिवर्ष जनता का धन उपयोग करते हैं। सारा धन बंदर बांट में बांटा जाता है। जो १० से ५० प्रतिशत कमीशन देता है। पूरा विभाग आयुक्त से लेकर बाबु चपरासी तक उसी के विज्ञापन बांटे जाते हैं। १० प्रतिशत सारा खेल झूड़े प्रमाण पत्रों पर चलती है। यहां चारों तरफ परिवार वाद और माफियाओं का साम्राज्य है। यहां बैङ्गा अतिरिक्त संचालक लाजपत आहूजा भारी बे-लाज और पतित आहूजा के नाम से कुख्यात है अजगर की तरह कुंडलीमार कर हर वर्ष इस रु. ५०० करोड़ में से ५ से १० प्रतिशत हिस्सा डकार कर अपनी सहेलियों, रसेलों पर खर्च करने के साथ ही भोपाल में ही ५ से ज्यादा मकान और प्लॉट, जिसमें एक रिबेरो कालोनी में, एक नेहरु नगर की प्रतिष्ठित कालोनी में जहां इनकी अतिरिक्त मुंह बोली रहती है। एक कपरा हिल्स में होने के साथ ही कोलार रोड में भी मकान है। वेतन अभी रु. ६,५०,०००/- के लगभग है। संपत्ति की घोषणा में मात्र एक मकान बेचारे के पास मात्र रु. ४ लाख कीमत का है। जबकि करोड़ों रु. की संपत्ति ग्वालियर, दिल्ली तक में है। बेशक ऐसे धूर्त मक्कार अपने नाम से अपने खाते कुछ फटी पतलूने ही रखते हैं। तन पर पहने हुए कपड़े भी, बीबी की कमाई, जो उसे बेचारी ने मजदूरी करके कमाए होते हैं। उसके ही पहनते हैं।

बेशक ये बेलाज पतित आहूजा केवल तीन मिडिया माफियाओं के ही सामने दुम हिलाने हैं जिनमें अग्रवाल परिवार, भास्कर, गुप्त परिवार जागरण, और अभी ताजा उभरता हुआ कोझारी परिवार पत्रिका को ही सुनते हैं। बाकी सब कीड़े मकोड़ों की जिनमें प्रदेश के हजारों दैनिक, लाख से ज्यादा साप्ताहिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की कोई औकात नहीं है इनके सामने। वर्तमान में संघ और भाजपा समर्थित समाचार पत्रों का मंत्रियों के कहने पर ही विज्ञापनों बख्शीश मिल रही है।

अ.सं. बे-लाज पतित आहूजा और पूर्व ज.सं. आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने भोपाल के एक दैनिक समाचार पत्र को पिछले ४५ वर्ष में ही

रु. १९ करोड़ के विज्ञापन बांटे जो इनकी सेवा में सुरा सुंदरियों तक पेश करता है। पूर्व आयुक्त मनोज श्रीवास्तव के अनैतिक संबंधों और सुंदरियों के दम पर विज्ञापन बांटने की घटना ६ जन. १० की रात्रि दिल्ली से चलकर भोपाल आने और सुंदरी भोग का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर सहयात्रियों द्वारा पिटाई और कपड़े फाड़ने की घटना सार्वजनिक हो ही चुकी है जो इंदौर के प्रसिद्ध, पुराने दैनिक के भोपाल प्रतिनिधि की पत्नी थी। जिसे वो भ्रष्ट यौन लोलुप मनोज विज्ञापन के बदले दिल्ली ले गया था। बाकी कहानी पाङ्क स्वयं समझ सकते हैं कि जनसंपर्क में कैसे सुरा सुंदरियों के दम पर जनता के धन बंदर बांट हो रही है। जन संपर्क में एक उपसंचालक है सुरेश तिवारी, इनकी जालसाजियों में इन्होंने अपनी बीबी डॉ. स्वाति को नौकरी में लाने का जो षडयंत्र किया वो काबिले तारीफ है। पहले उसे आदिम जाति विभाग में शिक्षक बनाकर अस्थायी रख गया। वहां से उसे जनसंपर्क में बुलाकर स्थायी कर दिया गया। बाद में प्रतिनियुक्ति पर जब उक्त तथकथित उप संचालक दिल्ली गए तो उसकी भी पने साथ पदस्थापना करवा दी गई। डॉ. स्वाति इस विभाग में उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने का वेतन बैंक में वेतन खाते से वसूलकर उपसंचालक पति के आर्थिक कष्टों को दूरकर रही बेचारी, धूर्त जालसाज जोड़ी।

एक है संयुक्त संचालक मंगला मिश्रा ये भी कम जालसाज नहीं है। इनका एक भाई भी इसी मुख्यालय में है जबकि शासकीय नियमानुसार पति-पत्नि व अन्य सगे संबंधी एक ही विभाग में एक जगह साथ-साथ नहीं रह सकते। इसके विपरीत दूसरा भाई जनसंपर्क मंत्री के यहां पदस्थ है ये परिवार बाद का उत्कृष्ट नमूना है। बेलाज पतित आहूजा की खास होने के कारण न केवल वो स्वयं वरन उसके दोनों भाई भी इसी विभाग में इसी की कृपा से जमे हैं। पूर्व आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की चरित्र हीनता थी। तो वहां बैङ्के इस लंपट आहूजा, मंगला मिश्रा व अन्य महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा होगा। जो नहीं मानेगी या उनकी हां में हो न करे तो उसको इस मुख्यालय से मप्र के किसी भी कोने में फेंका जा सकता है।

पतित आहूजा को सिंधी और पंजाबी भाईयों से विशेष प्रेम है इसलिए आर ओ जारी होन के बाद वसूली करने वालों में उनके परम एजेंट अवध रामानी और कपूर उनके खास हैं। इस अजगर पतित आहूजा के मकड़ जाल के सामने पूर्व जिलाधीश इंदौर वर्तमान में आयुक्त पदस्थ है मुख्यालय में, एक तो बेचारे पदोन्नत आईए एस जिन्हें केवल शंटीकी की आदत है। स्वाभाविक पूरे दम खम के साथ निर्णय लेने की क्षमताओं का आभाव उपर से सुनकर अपने स्टाफ को शंट करना और नीचे के स्टाफ से तैयार करवाकर अपने उच्चाधिकारियों को शंट कर देना। उस पर ये भारी एनाकोंडा अजगरो,

की भीड़ जो वर्तमान आयुक्त को शंट करने पर ही तुली है। और मुख्यालय में जाकर बैङ्कते हैं। तो इस अजगर की कुंडली को बेघने का प्रयास करते हैं। तो वो शतरंज के कुछ मोहरे यहां वहां खिसका कर उलझा देता है। जबकि सबसे पहले इस बेलाज पतित को उन्हें शंट करना चाहिए ताकि बर्पाटी बन गया है। सूचना के अधिकार कावे श्री अजमेरा ने जो आवेदन दिया था उसका यहां बैङ्के भ्रष्टाचार की गंदगी और जालसाजियों के गंदे तालाबों में लोटने वाले शूकरों ने जो जवान दिया है। वो पाङ्गको को समर्पित किया जा रहा है।

जिस तरह से यहां बैङ्के लोक सूचना अधिकारी भ्रष्ट शूकर रोहित मेहता ने जबाब भेजा है। सिद्ध करता है। किए हरामखोर कितना जालसाज और निकमा है जवाब देने के नाम पर जो दलीले पेश की है। साथ में संलग्न-लिफाफा जिस पर आवेदक का पता लिखकर टिकिट लगाकर दिया गया था गायब कर, जवाब न देने का आधार मान लिया गया है। राष्ट्रीय भाषा में आवेदन देने का नियम कहां लिखा है अधि. में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा अपीलीय अधिकारी का भी नहीं है। पत्र की प्रति संलग्न है।

जनसंपर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
क्रमांक/जससं./लो.सू.अ./१०
भोपाल, दिनांक २६/३/१०
प्रति,
अजमेरा एस.पी. कुमार,
२९९,अंबेडकर नगर,
एम.आई.जी इंदौर
विषय- सूचना का अधिकार के
अंतर्गत जानकारी।
संदर्भ- आपका आवेदन पत्र प्राप्ति
दिनांक २३.३.१०

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन कीजिए। आपके द्वारा प्रेषित आवेदन संचालक/कमिश्नर को अंकित किया गया है। इस कारण आवेदन मूलतः संलग्न कर भेजा जा रहा है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत केवल आवेदन लोक सूचना अधिकारी के नाम से ही प्रेषित कर सकते हैं। डाक के भेजे गए आवेदन के साथ अधिनियम की धारा ६(१) के अंतर्गत आवेदन के साथ पता लिखा एवं टिकिट लगा लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन में जो भी सूचना चाही गई हो पहले यह देखे कि उसी कार्यालय में वह जानकारी संधारित की जाती है। किसी अन्य कार्यालय/स्थान की जानकारी देना संभव नहीं है। आपके आवेदन में चाही गई सूचना अंग्रेजी में इसका राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का अनुवाद संलग्न करना होता है। हिन्दी में चाही गई सूचना का कृपया उल्लेख कर भेज सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी के कार्य केवल सूचना का अभिलेख/रिकार्ड की फोटो प्रति उपलब्ध कराना होता है शिकायतों का निराकरण या प्रश्नगत बिंदुओं का उत्तर देना नहीं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार
(रोहित मेहता)
लोक सूचना अधिकारी

इस पत्र के बाद जब अपील लगाई गई तो भ्रष्ट सुरेश तिवारी जिसकी कहानी उपर लिखी जा चुकी है। इस जालसाज निकमे ने भी अपील यथावत लौटा दी है।

जनसंपर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश
(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार)

क्रमांक डी३३९७ जससं/
(अ.सू.अधि.) भोपाल
दिनांक २० मई २०१०

प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार
२९९ अंबेडकर नगर,
इंदौर(म.प्र.)
विषय-आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन

संदर्भ-डाक से प्राप्त आवेदन
दिनांक ११ मई २०१०

१. सूचना का अधिकार के अंतर्गत आपके द्वारा अपील आयुक्त/अपीलीय प्राधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव के नाम से की गई है जबकि जनसंपर्क संचालनालय में अपीलीय अधिकारी के रूप में अपर संचालक श्री सुरेश तिवारी हैं। संदर्भित आवेदन एवं सहपत्र नियमानुसार न होने के कारण मूलतः संलग्न-वापस भेजे जा रहे हैं।

२. सूचना के अधिकार अधिनियम १९९५ की धारा ६(४) के अंतर्गत आवेदक को अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक जससं/लो.सू.अ./१०/१९१९ दिनांक २५ मार्च २०१० द्वारा आपको अवगत भी कराया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार (सुरेश तिवारी)
अपीलीय प्राधिकारी

यहां पर प्रथम अपीलीय अधिकारी सुरेश तिवारी निकमें जालसाज को सूचना अधिकार अधि.०५ के बारे में नहीं मालूम। वह सूचना के अधि. १९९५ की धारा ६(४) का उल्लेख कर रहा है। जबकि उस समय कोई अधि. पूरे भारत में नहीं था।

अब सवाल यह उठता है, कि प्रदेश का मुख्य मंत्री भ्रष्ट शिवराज किस समृद्ध मप्र दावा कर जनता को क्यों झूड़े दिवास्वप्न दिखा रहा है। जब वो कानूनों भखौल, उड़ाने वाले प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क में बैङ्के जालसाजों को लगाम नहीं लगा पा रहा है जो हर कदम जालसाजीयां कर एक तरफ जनता के धन को अंधों की रेवड़ी की तरह बांट कर अपनी कमाई से धन बटोरने में लगे हैं।

जब इन सारे कुकर्मों का आइना भोपाल उज्जैन से प्रकाशित होने वाले अदम्य के प्रधान संपादक भूपेन्द्र दलाल ने अपने पत्र के माध्यम से दिखाया तो इस पतित आहूजा ने उसे जनसंपर्क में घेरकर पिटवा दिया था, कितने भयभीत है अपने ही भ्रष्टाचार के आईने में अपनी श्वल पर अय्यासी, भ्रष्टाचार कालिख देखकर, बहुत जल्दी ही भ्रष्टाचार के धन को बंदर बांट में इस विभाग में नियमित जूतम पैजार भी होने लगेगी जिसकी कहानियां न केवल भोपाल वरन प्रदेश और देश के समाचार पत्र छापेंगे शयद तब शिव और उसके गावों की भ्रष्टाचार से धन बटोरने में तन-मन से ध्यान भग्न-तंद्रा टूटेगी।

सामान्य बीमा क.-डकैती का साया तृतीय पक्षप्रशासक- कानूनी लूट और डकैती शासकीय बीमा क. को डुबोने-कानूनी व्यवस्था-जालसाजियों का अंबार

हमारे राष्ट्र में भी विदेशी तरीकों से शासकीय क. को डुबोने के लिए राष्ट्र की संसदवित्त मंत्री ने मिलकर मेडिकलेम पालिसियों में जालसाजियों और अपने बेटे बेटियों, रिश्तेदारों के लिए कमाई के साधनों के लिए कैसे जालसाजियों पूर्ण कानून बनाए जा रहे हैं उसमें एक उदाहरण है तृतीय पक्ष प्रशासक की व्यवस्था कर दी जिसका मूल उद्देश्य मेडिकलेम करने वाली बीमा क. अपने ग्राहकों को सीधे उनके चिकित्सीय खर्चों का भुगतान करने की अपेक्षा यह जालसाज डकैत तृतीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस बीच यह तृतीय पक्ष प्रशासक क. बीमा क. से अपनी सेवाओं के बदले कमीशन बढ़ाएंगे वैधानिक रूप से दूसरा नर्सिंग होम्स और अस्पतालों से मोटा कमीशन डकारेंगे, जानबूझकर ये जालसाज नर्सिंग होम्स और अस्पताल चूकि मेडिकलेम है इसलिए ५ से ५० गुना बिल बनाएंगी और सीधा पार्टी प्रशासक को बिल सौंपकर अपनी वसूली करेगी साथ ही उसका कमीशन इन जालसाज सफेद पोश डकैतों को कमीशन देगी। जो कि वह मूल बीमा प्रदा क. से ५ स ५० गुना तक ज्यादा बीमा क. से वसूलें अर्थात सरकारी नेशनल इंश्योरेंस क. न्यू इंडिया इंश्योरेंस क. की मेडिकलेम को कमाई से कई गुना ज्यादा का घाटा देकर वसूल लेगा। यह तो हुआ कमाई के लिए इमानी काप्रत्यक्ष उदाहरण इसके विपरीत इन टीपीए के जालसाजों की अरबों, रु. की कमाई का एक बड़ा रास्ता और है। जिसमें ये टीपीए के एजेन्ट और कर्मचारी अधिकारी मिलकर अरबों रु. का खेल मेडिकलेम की पालिसी धारक को बिना बताए पूरे भारत में साधारण इंशोरेंस क. टीपीए, और नर्सिंग होम्स के साथ मिलकर खेला जा रहा है। जिसमें करोड़ों मेडिकलेम पालिसी धारकों के साथ उनको बिना बताए खेलकर शासकीय ४ क. हो तो भारी जालसाजियों और भ्रष्टाचार से पैसा हड़पकर घाटा दिया जा रहा है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति ने रु. २ लाख की मेडिकलेम पालिसी ली और लेने के बाद किसी कारण वश वह बीमार होकर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में भर्ती हो ही गया। मेडिकलेम पालिसी होल्डर को मात्र पानी की कमी के कारण बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया। जिसे दो बॉतल ग्लूकोज चढ़ाने के बाद वह सामान्य स्थिति में आ गया और स्वास्थ्य हो गया खर्च हुआ मात्र दो बॉतल रु. ५० की नर्सिंग होम का किराया रु. २०० डॉक्टर की फीस रु. २०० आदि कुल रु. ५०० के खर्च को मेडिकलेम की केशलेश पालिसी में यह खर्च रु. ५०००/- बताकर रु. ४५००/- बंदर बांट में टीपीए और नर्सिंग होम उकार लेंगे। अभी मेडिकल पालिसी धारक के रु. १ लाख ९५००० जो बाकी है। अब उसमें नर्सिंग होम और टीपीए खेल शुरु करेगा जिसका पता पालिसी धारक को भी नहीं चलेगा। पालिसी धारक से कई फार्मों और सहमति पत्रों, बिलों पर भुगतान के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। और इस प्रकार दो-तीन किस्तों में से रु. १,८०,०००/- हड़प लिए जाते हैं। बीमा क.के चूकि अधिकारी, टी पीए और नर्सिंग होम्स की तिकड़ी इसप्रकार ७० से ९० प्रतिशत पैसा बीच में हजम कर बिलों का भुगतान बीमा क. से प्राप्त

कर लेती है और बीमा धारकों को पता भी नहीं चलता।

अब ऐसे सैकड़ों मामलों में जब किसी कारण तश पुनः नर्सिंग होम्स और अस्पतालों की शरण में जाना पड़ा तो मालूम पड़ा कि उनका खाता हो चुका है। इस प्रकार के कई प्रकरण गोकुलदास और सुयश में सामने आए जिसमें बीमा धारकों के बिना इलाज करवाए ही पालिसी की कुल रकम हजम की जा चुकी थी।

अब प्रश्न ये उठता है। कि जब मेडिकलेम के लिए व्यक्ति इंशोरेंस क. को अपनी सारी जानकारी देता है। वह जानकारी बिना पूछे ये सारी जानकारी टीपीए को क्यों और किस आधार ये बीमा क. बांट देती है। क्या वही है बीमा क. की बीमा पालिसी धारकों की गोपनीयता रखने का नियम, कि उसे टीपीए, नर्सिंग होम्स की कमाई का मोहराबना कर छोड़ दिया जाए, वैसे टीपीए में पंजीकृत सभी पूरी जालसाजियों के हिस्सा है। ५३ टीपीए क.जिनके इंटरनेट पर पड़ी जानकारी के अनुसार पंजीयनों को समाप्त हुए ही २-२ वर्षों से ज्यादा बीत चुके हैं। जिन्होंने पंजीयन रह होने के बाद पुनर्नवीनीकरण तक नहीं करवाया इसीलिए कि किसी भी दिन अरबों रु. की हेरा-फेरी में सीबीआई का छापा पड़ेगा या संभावना होगी तो सारा पैसा इधर उधर कर आफिस में आग लगा कर भाग सकें।

बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण जिन्हें बीमा क. के कार्यों का नियमितोकरण और बीमितों के साथ होने वाली जालसाजियों को रोकने की जिम्मेदारी है वह स्वयं इन सभी जालसाज एजेन्सियों की कङ्कपुतली बन नाच रहा है। शासकीय बीमा क. की हेरा-फेरियों और उसे डुबोने वाले भारी घटा देने वाले अधिकारियों की तो दूर, जितनी भी भारत में निजी क्षेत्र की बीमा क. का हाल तो और भी गंभीर है। बजाज एलियांज को ही लो। इस क. की आधारभूत क. के पंजीयन की औपचारिकताए ही पूर्ण नहीं हुई हैं, क. के पास पंजीयन प्रमाणपत्र तो है। परंतु व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसका शरण कार्यालय नहीं दिख सका। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसी अनेकों अन्य क. इ.... के नियमों की धजियाँ उड़ाते हुये प्रीमियम न केवल ज्यादा वसूलती हैं। सुविधायें कम देती हैं। साथ ही अगर गतिपूर्ति भुगतान की नोबत आ ही जाये १० गुना से १००० गुना तक कारती है पैसा जैसे कि मोटर साईकल के बीमे पर, गाड़ी के खो जाने पर बीमे की कुल राशि से सरकारी कं. रु. ५० प्रतिशत कारती है। बजाज एलियांज रु. ५०० प्रतिशत अर्थात १० गुना आईसीआईसीआई रु. ८००० प्रतिशत अर्थात १००० प्रतिशत गुना ऐसी ढेर सारी हर कदम पर व निजी बीमा कं. जालसाजियाँ कर रही है। परन्तु इरडा शांत है। १४ साधारण निर्जी बीमा कं. किस करोड़ों कीमितों को लूट व निचोड़ रही है।

टीपीए के संबंध में भी कई कं. के लायसेंस समाप्त हुये वर्षों बीम गये जैसा कि साइट पर वर्णित है, ये कं. बिना रोक टोक के काम में जुटे रहकर अरबों रु. की जालसाजियों को अंजाम दे रही है। टी.पी.ए. की सूची पेज नं.७ पर

पृष्ठ १ का शेष
पेट्रोल, डीजल

होने पर अवश्य उपलब्ध करवा दी गई है। क्योंकि वहां कमाई की व्यवस्था है जो भी है तेल कंपनियों का वे सामाजिकता को ध्यान में रख शीघ्र एंबुलेंस की व्यवस्था भी करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। पोश बिना पंख के कांग्रेसी गिद्ध ये बताए कि ये हरामखोर क्या यह अनुदान स्विस बैंकों के खातों से निकाल कर जनता पर लुटा रहे हैं। आखिर ये पैसा भी तो पेट्रोल, डीजल पर ७२ प्रतिशत से ज्यादा वसूले गए करो का ही हिस्सा है। या इन कांग्रेसी सफेद पोश डकैतों के पिता की जागीर से आ रहा है।

पेट्रोल और डीजल क हर बूंद पर केन्द्रीय आबकारी और कस्टम ३२ प्रतिशत, २ प्रतिशत शिक्षा अभिमार जिससे सर्व शिक्षा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन आदि चल रहे हैं। २ प्रतिशत सड़क अधिमार जिससे प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे देश में चल रही है। १ प्रतिशत अन्य अधिमार कुल ३७ प्रतिशत केन्द्र शासन का, ३२ प्रतिशत कर वसूल ने बाद भी किस अनुदान का रोना जनता के सामने रोया जाता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ५० से ६० प्र. बैरल कुड पिछले सालभर से चल रहा है। १ बैरल में १६०ली. कुड आता है प्रसंवर्धन में १० वैभानिकी पेट्रोल अर्थात १६ ली. जिसकी कीमत रु. १५०/-ली. है। ४० प्रतिशत पेट्रोल साधारण, अर्थात ६४ ली पेट्रोल, ४० प्रतिशत डीजल, और बाकी मिट्टी

का तैल व अन्य भारी पदार्थ प्राप्त होते हैं। अर्थात लागत से कई गुना कमाई होने के बाद भी पेट्रोलियम क. को घटे का रोना रोया जाता है। क्योंकि ये जालसाज सरकार पेट्रोलियम क. में बैङ्के उनके अधिकारी एमडी, संचालक, क्रय, प्रसंवर्धन प्लांट, वितरण, प्रबंधन, गुणवत्ता आदि सभी भारी भरकम खर्चे दिरणकर पेट्रोलियम उत्पादों की मूल लागत, फैक्ट्री कास्ट प्रबंधन कास्ट, वितरण लागतों को बढ़ाचढ़ा कर अरबों रु. का हेरफेर करे हैं। बदले में ये धन जो करोड़ों रु. में होता है। मंत्री और प्रधानमंत्री, कार्यालय तक पहुंचता रहता है। यहीं कहान हर सरकारी क. की होती है चाहे तो विद्युत बैंक, बीमा, वितरण हो, पेट्रोलियम, दूरभाष, दूरदर्शन से लेकर रक्षा सेनाओं, सरकारी कार्यालयों की ये कमाई के हिस्सा होते हैं। इस प्रकार साईकल के बीमे पर, गाड़ी के खो जाने पर बीमे की कुल राशि से सरकारी कं. रु. ५० प्रतिशत कारती है। बजाज एलियांज रु. ५०० प्रतिशत अर्थात १० गुना आईसीआईसीआई रु. ८००० प्रतिशत अर्थात १००० प्रतिशत गुना ऐसी ढेर सारी हर कदम पर व निजी बीमा कं. जालसाजियाँ कर रही है। परन्तु इरडा शांत है। १४ साधारण निर्जी बीमा कं. किस करोड़ों कीमितों को लूट व निचोड़ रही है।

लों.स्वा.यां. जन-घन को पानी की तरह लूट रहे

अरबों रु. की खरीदी और स्टॉक में हेरापेती

पिछले २०वर्षों की खरीदी और स्टॉक में ही रु. २००० करोड़ से ज्यादा का अंतर आयेगा, स्टोर कीपर तक करोड़पति है।

प्रतिशत तक मिलता है। एक जनवरी से ३१ मार्च १० तक रु २०० करोड़ के खरीदी के इंडेन्ट जारी किये गये, जिसमें जी आई, सीई, डीआई स्तर के माल की गुणवत्ता की जांच हर कार्यपालन अभियंता को अपनी प्रयोगशाला में कसी चाहिए यदि स्तर ही न, निम्नस्त, के पाइप खरीदे में आये हैं। तो उन्हें तत्काल वापिस किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा मुश्किल से ही होता है क्योंकि खरीदी में भोग कमीशन इंडेन्ट जारी करते समय ही वसूल लिया जाता है। वर्तमान आ मुख्य अभियंता आभोर द्वारा, बाद में बिल के भुगतान के समय संबंधित अभियंता जो संभागीय कार्य पालक होता है। खरीदी के समय के समय अपना कमीशन भी डकार लेता है। स्तर हीन पाइपों ओर कमीशन खरीदी के कारण ही आये दिन अभी डाली गई तृतीय चरण की पाइप लाइनें फूटने लगीं। बेशक पाइप लाइनों का फूटना भी सभी की कमाई का कारण हो होता है। जितनी पाइप लाइनें ज्यादा फूटेंगी उतना ही रखरखाब के नाम पर उपयंत्री से लेकर फार्म-पालन यंत्री और ड्रैकेदारों की कमाई होगी, जिसका खेल केवल इंदौर, उज्जैन ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में ही हर वर्ष करोड़ों रु. में पहुँचाता है। जिसमें कार्य पर ४० प्रतिशत से ५० प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता है। बाकी पैसा हजमकर लिया जाता है।

सन् १९९० से लेकर मार्च १० तक पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रु. की खरीदी की गई, इन २० वर्षों में ही पूरे प्रदेश में रु. २००० करोड़ से ज्यादा का स्टॉक होना चाहिये। या जिसमें अरबों रु. की पाइप लाइन

है, जबकि अधिकांश सुधार कार्यों में पुराने वालों, पाइप लाइन का स्टॉक ही तत्काल उपयोग कर काम चला दिया जाता है। ओर नये सामान पाइप लाइनों, वालों आदि काफेस तत्काल से आसानी से हजम हो जाता है। अकेले इंदौर नगर निगम की हर टकी के रु. २ से ५ करोड़ के पाइप वाल और अन्य सामग्री पड़ी है, जिसे जल यंत्रालय, जल समीति प्रभारी की सच ई के इंजीनियर्स गाटे बगाटे बेंच कर बंदर बांट करते रहते हैं। यही कारण है कि इंदौर नर्मदा जलआपूर्ति में कार्यपालन अभियंताननने या पर हथियाने के लिये लाइन लगी रहती है। और वहाँ आमों खास ही जो इ एन सी से लेकर प्रधान संचिव ओर मंत्री सबको चढ़ाता चढ़ाता हो उसे ही मिङ्गाया जाता है। जैसे धर्मेन्द्र वर्मा



वर्तमान कार्यपालक अभियंता वर्तमान में नगर निगम की जल आपूर्ति में विराने हैं, जो पार्षदों से लेकर पूरी भाजपा के फेयर जो इंदौर में सबकी जी हुजुरी करते हुये सबको घेन से

उपयोग ही नहीं था, तो आँख मीचकर इतनी भारी भरकम शाजापूर, नीमच मंदसौर, देवास का भी है। जहाँ करोड़ों रु. का स्टॉक वर्षों से पड़ा सड़ रहा है। जन १० से ३१ मार्च १० तक ही इंदौर के ८ और उज्जैन के ६ जिलों में रु. २०० करोड़ की खरीदी भी इसीलिये आँख मीचकर की गई, ताकि जाते २ मुख्य अभियंता पाइपों पर १० प्रतिशत और मोटरों व अन्य सामान पर ३० प्रतिशत तक कमीशन हजम कर लों और हजमकर लियागया, क्यों कि सारे इंडेन्ट मुअ डामोर ने ही जारी पर १५ कार्यपालन यंत्रियों को सामान का भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंप दी उर बेचारी ने भी येन केन प्रकरण अपना कमीशन डकारते हुये भुगतान कर दिया।

आखिर एजीएमपी की अंकेदाकों की टीम ने इस अरबों रु. के स्टॉक पर अभी तक अंगुली क्यों नहीं उड़ाई क्यों अंकेदाकों की टीम हर संभागीय और उपसंभागीय कार्यालयों में एक प का, सत्यापन और अनावश्यक खरीदी पर अंगुली उड़ाती और स्कंध अवरायण और चोरी व हानियों को लोक ले रणसमिति में पहुँचा कर विद्यानसभाओं में प्रश्न उठाकर मंत्री और प्रधान सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता के साथ मुख्य अभियंताओं और कार्यपालन अभियंता को घेरा जाता।

इसी प्रकार का स्कंध का अनावश्यक कम, हारा और चोरी, कमी का कुल आंकड़ा पूरे प्रदेश में पिछले या हानियों के लिये कौन जिम्मेदार है। या जन घन को लूटों खाओं और चलते फिरते नजर आओ।

इस प्रकरण के अभी तक मुख्य अतिथि परीशक म.प्र. द्वारा भी नहीं उड़ाया गया। पर शाम सबको इस



जो २ से लेकर १० और २० की जीआईसीआई, ओर डीआई स्तर की थी, नई की नई ही जोसे रोलिंग मिलों को टुकड़े कर बेंचकर पैसा हजमकर लिया गया जिसमें पिछले ही वर्ष नगर निगम इंदौर में भी ये मामला उड़ा, जिसमें निगम के साथ ही पी एच ई के वर्षों से जमे एक इंजिनियर संतोष श्रीवास्तव का भी नाम था जो अब रतलाम में कार्य पालन यंत्री पर पदोन्नत होकर बैङ्का दिये जाते हैं। सरकारी संपति आपकी अपनी है। घर ले जाइये या वापिस जैसे हो पोने पोने में में बेंच कर रण जाइये, इस विभाग के पूरे प्रदेश के स्पर कीपर से लेकर कार्यपालन अभियंता इसी दम पर करोड़ पति बन चुके हैं।

यदि पीएच ई के पूरे प्रदेश के ६० से ज्यादा संभागों के केवल स्कंध की ही जांच की जाये तो लगभग रु. १००० करोड़ से ज्यादा का स्टॉक गायब पाया जायेगा जिसको न केवल बेंच कर हजमकर लिया गया, वरन् हजम करने वाले अनेको सेवानिवृत्ति पाकर घरती से भी कूचकर गये।

टूट-फूट और लाइन सुधार में अधिकांशता नई पाइप लाइनों की खरीद और उपयोग दिखाया जाता

ओर मन से खुश करते हो बैङ्क पाते हैं।

उज्जैन नगर निगम में बैङ्के और उज्जैन संभाग में बैङ्के इंजीनियर ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं। वहाँ हर सिंहस्थ में अरबों रु. की खरीदी और कार्य संपन्न होते हैं। बस सिंहस्थ समाप्त होते ही खरीदे गये स्टॉक की हेराफेरी शुरु हो जाती है। ओर सिंहस्थ के बाद ५-७ वर्षों से खरीदा गया स्टॉक ढंजियां स्टेन्ड्स, पाइप लाइन वाल्वास मोटर आदि करोड़ों रु. का स्टॉक स्टोर कीपर से लेकर सुपरवाइजर सहा. अभियंता, कार्यपालन अभियंता बेंचकर उकार ले रहते हैं। जंतर मंतर के सामने ६०-७० एकड़ से ज्यादा के केपंस में अभी भी रु. ५० करोड़ से ज्यादा का स्टॉक पिछले ६ वर्षों से सड़ रहा है। पिछले ६ वर्षों में कम से कम रु. -५ करोड़ से ज्यादा का स्टॉक गायब हो चुका है, पूछताछ करने पर जवान मिलता है, कि नहीं सबका उपयोग किया जा रहा है। हो सकता है, कुछ का उपयोग भी किया गया पर ८ से १२ की पाइप लाइन का उपयोग महनगरों के अतिरिक्त कहीं नहीं किया जा सकता, अखिरज

जन-घन की लूट में हिस्सेदारी है। इसलिये सब आँख भी व अपने हिस्से को प्राप्त कर बैंक बैंलेस बढ़ाने में लगे हैं।

मु. अभियंता आभोर को सूचना के अधिकार में जो पत्र किय गये ये आपराधिक ओर भ्रष्टाचार मानसिकता का शूटर सब को भी जाता है। जनसूचना आयोग में अपील की सुनवाई होती है उस समय उन मुखरों को टुकड़े डालकर अपीले रद्द ही करवा लेता है। आधीशन यंत्री कार्यालय इंदौर के शूटरों ने तो रु. ४७७८ प्रतिशत भी जमा करवालिये ओर डेढ माह से अधिक हो जाने पर भी जानकारी नही दी मंत्री बिसेन ने तो घनडकार कर खुलकर नियम विरुद्ध स्थानांतरण किये, जिसके उस हरामखोर भ्रष्टअययाशा को स्थानांतरण का अधिकार ही नहीं था उन्हें भी इस अधीरा यंत्री को इंदौर में लाकर बैङ्का दिया जबकि पूर्ण ए आधीरण यंत्री को ३ वर्ष भी नहीं हुये थे, चूकि मंत्री के मंत्रीघन देता है। इसलिये उनके सारे कुलमाफ ओर जनघन की खुली घूट दे देता है।

मुंबई की बाद पेकेजिंग उद्योग की देन पेकेजिंग बिगाड़ रहा पर्यावरण, बढ़ रहा प्रदूषण

बहुराष्ट्रीय वंश. वेर इशारे पर नाच वेन्द्र बनाता है कानून

पूरे भारत में पेकेजिंग इंडस्ट्री का कारोबार भी दिन दुगुना और राते चौगुना फैला रहा है। अब २५-५० पै. की गोली टॉकी बिस्कुट से लेकर १ तोले साबुन का पानी जिसे शैपू कहते हैं तक पाउचों में मिलता है, से लेकर तेल, आटा, घी चिप्स, कचोड़ी, पकोड़ी, दूध आदि अधिकांश खाद्य सामग्री प्लास्टिक एल्यूमिनियम की पैकेटों में ही उपलब्ध है। अब किराने पान, मिर्झाई नमकीन, पेय पदार्थों की दुकाने इन पाउचों से भरी होती हैं। इनके खाली हो ही इसकी पेकेजिंग जिसमें एल्यूमिनियम फाइलों के पैकेट तो रियासकल भी नहीं होते, पॉलिथीन के पत्रियाँ यदि पत्नी बीनने वाले न बटोरे तो टनो से प्रतिदिन कचरा इकट्ठा होता है। जो वर्षों सड़ता गलता भी नहीं और नालियों में फंसकर बरसात जल निकासी रोक कर बाढ़ का कारण बनता है। मुंबई में पहली दूसरी बरसात में बाढ़ के का कारण बनता है। मुंबई में पहली दूसरी बरसात में बाढ़ के हालात बनने का मुख्य कारण भी वहाँ के नाले नालियों में पैकिंग सामग्री के फंसजाने से नाले नालियों की निकासी रुझनाही रहा। मुंबई में १००-७२५ टन कचरा निकलना मामूली सी बात है। हर दिन जिसमें २५ प्रतिशत से ज्यादा पेकेजिंग का कचरा होता है। जिसमें थर्मो कोल से लेकर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम जिलेटिन ही ज्यादा होता है। इससे मुंबई ही नहीं पूरे भारत में शहरीय क्षेत्रों की नालियाँ जाम होती हैं। इसके साथ ही पूरे देश में फैली कार के कि.मी. रेल्वे लाइनों की सुरक्षा के लिये बनाई गई, जल निकासी की नालियों में न केवल शहरीय क्षेत्रों में वरन् दूर दराज के जंगलों से गुजरती टैक के दोनों किनारों की नालियों में भी पानी की वोल्लों से लेकर टनों से पाउच भरे मिलते हैं। जिससे वनों में बनस्पती नहीं पन पती

और रेल्वे टैंक के दोनों और पानी भरने से टैंक को भी खतरा उत्पन्न होता है। पूरे देश में पालीथीन के उपयोग के प्रति न केवल जागरूकता आई है वरन् पर्यावरण बिद्ववादी भी भुखर होने लगे हैं। केन्द्र व राज्य शासन पालीथीन पर प्रतिबंध लगाने की बाते तो बहुत करते हैं। योजनाय के नाम पर पैसे का आवंटन भी वस्तु होता है। पर केन्द्र के प्रदूषण मंडल, राज्यों के प्रदूषण मंडल पर थोपता है। राज्यों के प्रदूषण फैलाने वाले मंडल आराम से पैसे को हजमकर कागजी कार्यवाही पूरीकर चैन की वानकर सोते हैं।

दूसरी और भारतीय वेल कंपनियों अपनी आय बढ़ाने के लिये यहाँ बैङ्के भ्रष्ट मक्कार उठे ही दलील देते हैं। कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति पालीथीन का उपयोग १४७० ग्राम म.प्र. है। जबकि भारत ५९५ ग्राम है वे राक्षसों की फौज से मूल जाती है। कि भारत में १२५ करोड़ लोग हैं। जबकि अमेरिका में मात्र २६ करोड़ लोग हैं। और भारत के क्षेत्रपुल से तीन गुना धरती है उनके पास अर्थात इन्हें जनता, और देश के भविष्य से नहीं इन्हें अपनी कमाई और व्यवसाय से मतलब है।

इसके साथ ही हमारी सरकार को बहुराष्ट्रीय कं. से मिलने वाले कमीशन की खातिर देश का वर्तमान और भविष्य बिगाड़ने से कोई परहेज नहीं वह उनके हित में खाद्य सुरक्षा और स्तर अधि. ०६ बना चुकी है। जिसके अंतर्गत हर सामग्री पैकेट में बिकेगी, तो पैकेट में क्या जहर बेंच रहे हैं। मिलाबटी बेंच रहे हैं। सड़ा हुआ बेंच रहे हैं। यह कुछ जनता को समझ में नहीं आना चाहिये, जो उसके ओर भरा गया है। उस पर लिखी कैलोरियों से लेकर तारीख और पेक किये हुये पदार्थ को नापने का कोई पैमाना भी नहीं है। यह पैकिंग का कारोबार न केवल खाद्य वस्तुओं से लेकर अधिकांश अ खाद्य वस्तुओं

में भी भी हुआ, जहाँ बहु राष्ट्रीय कं. शुली लीवर पारले, टाटा, नेस्ले, आई टी सी, रिवायंस और कमाई इनके हाथा मे केर्डिट हो वरन् एक मुशत मोटा कमीश अरबों रु. में मासिक त्रैमासिक छ माही या वार्षिक वसूली कर सके। इसलिये पैकेजिंग वेर लिये कानून बनाकर साराव्यवसाय इन्हें सौंप कर सभी प्रकार से जनता की बर्बादी की व्यवस्था कर दी गई।

एक तरफ टनों से निकलने वाला पैकेजिंग सामग्री का कचरा प्रदूषण फैलाता हुआ पर्यावरण बिगाड़ रहा है। शहरीय जल निकासी की व्यवस्था बिगाड़ रहा है। बाढ़ का कारण बन रहा है। तो दूसरी तरफ करोड़ो लोगो दुकानों व्यवसायों को चौपटकर जनता को उसकी मनपसंद सामग्री खरीदने और उपयोग करने की व्यवस्थाये चौपटकर रहा है। अब हल्दी में १० प्रतिशत चावल की भूसी मिलाने की झुंडे पेय पदार्थों को खेती के कीटनाशकों से जो आत्याधीक जहरीले होने के साथ मानवा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथही सांद्रता मृत्यु का तत्काल कारण बन सकती है। कानूनों में सशोधन कर पूरी छूट दे दी गई है। उस पर भी दलील ये कि इतनी मात्र घातक नहीं होती, इसलिये पानी को कीटाणु रहित बनाने में उपयोग किया जा सकता है। जबकि उन्ही की साशकों के प्रयोग से हजारों की रुपतंगो, चिड़ियों यहाँ तक कि गिड़ों की प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। कृषि भूमि की उर्ता शक्ति को ये जहर और प्राविथीन बर्बाद करने पर तुले हैं। इसके विपरीत जिम्मेदार सत्ताधीश और अधिकारियों को केवल मोथरी ब्यान बाजी कर वाह वाही लूटते रहते हैं।

वन विभाग में करोड़ों का दोहरा भ्रष्टाचार रेंजर वन विभाग का सबसे डेंजर जानवर

एक तरफ विभाग को लूटता है, दूसरी ओर वन उजाड़, बटोरता है धन

देवास। विभाग में सूचना के अधिकार में पत्र देकर जानकारी मांगी गई, देने के नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, चुंकि जिलाधीश के माध्यम से पत्र आया था, कोई सुनवाई नहीं हुई, और जिलाधीश कार्यालय से भी कहा गया, कि स्वतंत्र विभाग है उसके अधिकारियाँ मिली तो आमजन के लिए भी चौकाने वाली थी। वन विभाग इंडियन फोस्ट इंटीग्रेट्ड सर्विस के अधिकारियों का कहना था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह हम भी भारतीय सेवा के ही हैं। जब दोनों का चयन संघ लोक सेवा आयोग ने किया है, तो हम उनके मातहत कैसे रह सकते हैं। जानकारी जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से आई है, देना हमारी वाप्यता नहीं है।

१ स्वाभाविक था प्रथम और द्वितीय अपील लगाई गई, जिस दिन द्वितीय अपील की सुनवाई भी उस दिन किस्मत से श्री वाजपेयी थे उन्होंने बिना शासकिय शब्दावली का प्रयोग किए नियमानुसार समय बाधित होने के कारण मफ्त में देने के आदेश कर दिए इसके बाद भी इस भ्रष्टविभाग के तन मंडलाधिकारियों जो उस काल

में तीन बदल गए देने को तैयार नहीं थे बड़ी मुश्किल से सैंकड़ों चक्कर कटवाकर सूचनाएं १५/०४/०८ के आदेश बाद फिर मार्च ०९ में हाथ में आई।

जब इन दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया तो यह तग्य हाथ में आए कि परिक्षेत्रों में पदस्थ रेंजर वन विभाग का सबसे ज्यादा भ्रष्ट,



डकैत होता है, जो एक तरफ तो शासन के धन में ५० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक डकार कर कागजी कार्यवाही कर आराम की तान के सोता है, तो दूसरी तरफ उसके परिक्षेत्र में वनों के वंशों, जड़ीबूटियों की अवैध कटाई आर बिकवालीकर धन वसूलता है तो दूसरी तरफ जमीनों में अवैध खनन, पथर

गिट्टी, मिट्टी से लेकर खनिजों तक की तस्करी करण कर धन वसूल करता है, तो तीसरी तरफ वन भूमि की कटाई कर कर ये हरामखोर वनवासियों-ग्रामवासियों जमीन किराये पर उठाकर भी लाखों रुपये हर वर्ष उकारता है। यही कारण है, कि वन पशुओं से ज्यादा खतरनाक होता है, यह रेंजर, इसके साथ ही वन प्राणियों के अवैध शिकार जिसमें वनों में निवास करने वाले पशु-पक्षियों, सांप, नेवलों, खरगोश, हिरण, लोमड़ी, से लेकर शेर-तेंदुओं के शिकार से लेकर जीवित पकड़कर भी बेंचे जाते हैं, तो सब इनकी ही मेरबानी से ही, अर्थात एक तरफ जनघन जो इन्हें हर माह परिक्षेत्रों जिनमें से पदस्थ होते हैं, और सतन इनके अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार रुपये ५० हजार से लेकर २ लाख रुपये तक हर माह में किरताई आवश्यकतानुसार आबंटित होते हैं। जिसमें मजदूरों के भुगतान छोटे-मोटे खर्चों, कार्यों को संपादित करने के लिए मिलते हैं। जिसका अधिकांश कागजी खर्च करवाकर उकार लिया

किसानों के साथ मंडियों में लूट कृ.उ.मं., व्यापारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की मंडिया,

४०प्रतिशत शुल्क ही प्राप्त होता है, ६० प्रतिशत की चोरी, ३०प्रतिशत की बंदरबांट

म.प्र. की कृषि उपज मंडियों में कृषकों के साथ पूर्व की अपेक्षा लूट कम अवश्य हुई परंतु बिल्कुल समाप्त नहीं हुई, अभी भी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे प्रदेश की २४२ मंडियों में स्वरव ही रहते हैं। खराब न भी हो तो भी अधिकांश बिजली की कटौती के चलते मृतप्राय रहते हैं। बैटरियों से भी व्यापारियों का कहना है, कि कब तक चलाए औश्र कैसे चलाए इस सचझूझ के चलते व्यापारियों के तौलडिए वही पुराने और पत्थरों के बांटों से ही माल तौल रहे हैं। और ५ से १० प्रतिशत ज्यादा माल तौलना उनकी आदत में आ चका है। जिस पर मंत्री सचिवों से लेकर निरीक्षकों तक का कोई नियंत्रण तो दूर उल्टे ही महिने की वसूली कर उनके ही पालतू बन चुके हैं।

दूसरी ओर व्यापारी मंडियों में आए माल को भी सीधे खरीदकर नगदी भुगतान कर माल बिना मंडी शुल्क चुकाए बाहर कर देता है। जिसके तरीकों में ज्यादा माल लेकर भी कम माल की खरीद दिखना बहुत आम चालन में है। पकड़े जाने पर तोड़ कर लेन-देन कर मामला रफा दफा, संभाग इंदौर और उज्जैन की मंडियों में ये जानने के लिए सूचना के अधिकार में जो पत्र दिए गए यहाँ बैङ्के हरामखोर जालसाजों ने कैसे पत्रोत्तर दिए। जब अपील की गई तो उसमें भी झूझी जानकारी और जालसाजीयाँ की गई।

इंदौर संभाग के उपसंचालक पद पर वैध उ.सं. महेन्द्र किंग चौहान जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश शंभुसिंग का पुत्र है। वंदे इसी दम पर यहाँ बैङ्केर जालसाजियों को अंजाम दे रहा है और उसका रुतबा पुराना शगल है उसकी आड़ में वहाँ बैङ्के कर्मचारी भी भारी जालसाजियों को अंजाम दे रहे हैं। पत्र स्वयं १५.२.२०१० को हाथ से दिया गया वहाँ बैङ्के हरामखोर जालसाजों ने प्राप्त नहीं दी। दूसरी ओर कहा गया साहब के आते ही रसीद भिजवा दी जाएगी जो २० दिन तक नहीं भेजी गई। जब मार्च के पहले सप्ताह में पूछताछ की गई तो आवेदन साहब ने रख लिया है। अर्थात तब भी प्राप्त देने की नियत नहीं थी जब वहाँ १५-२० मिनट तक लंबी नॉक झॉक की गई तो ८.३.१० की तारीख में प्राप्ति दी गई, पत्रोत्तर में समय व्यतीत होने के बाद जवाब आया तो अपील की गई, संचालक मंडी बोर्ड ने दो अपीलों का जवाब हरामखोर ने एक ही पत्र से दे दिया। जिसमें इंदौर उज्जैन दोनों

संभागों की अपीलें थी। अपील के जवाब में इस धूर्त जालसाज के उ.सं. चौहान ने जानकारी भेजी की हमने उन्हें जानकारी दे दी है। अपीलीय अधिकारी के तथ्यों पर आंख मीचकर विश्वास कर लिया और अपील के जवाब में आवेदक को लिख भेजा कि उता प्रतिवादी ने आपको जानकारी भेज दी है। यदि जानकारी भेज दी होती तो अपीलीय अधिकारी संचालक, कृ.उ.मं. बोर्ड ने अपील कैसे और क्यों स्वीकार की।



दूसरा जानकारी यदि दे दीतो आवेदक से प्राप्ति का प्रमाण लिया। स्वयं संचालक इंदौर के उपसंचालक से उसके रुतवे से भयभीत प्रतीत होता है पत्रोत्तर में।


दूसरा उज्जैन का संयुक्त संचालक /उप संचालक आर के शर्मा। जो इंदौर के सहकारिता विभाग में बाबी छाबड़ा एंड सहकारिता विभाग की कार गुजारियों बाहर आ रही है। उसका निर्देशक व विभाग का कर्ता था। झूझे चुनाव, सदस्यों के धन की हेराफेरी, दस्तावेज गायब करने का सहयोगी था। उज्जैन मंडीबोर्ड के संभागीय कार्यालय का उपसंचालक मंडी शुल्क की बड़ी चोरियों, संभागीय कार्यालय में बैठने वाले कार्यपालन यंत्रियों के साथ, मिलकर मंडियों के प्रांगणों में निर्माण और रखरखाव में करोड़ों की हेराफेरी, झूझे व्हाउचरों से धन हजम करने की जाल साजियों के सरगना, होते हैं। इस सूचना के अधिकार के पत्र के संबंध में जब यहाँ पर का.अ.श्रीवास्तव से व्यक्त करना चाही तो ये हरामखोर भड़क उड़ा। जबकि इसके अंतर्गत इंदौर संभाग की ३२ मंडियों में निर्माण, रख रखाव के कार्य होते हैं। जिसमें खुलकर करोड़ों के भ्रष्टाचार भी होते हैं। देवास की मंडी

से जब इन कार्यों की सूची प्राप्त की गई तो एक कुए की सफाई रु. २००००/- खर्च किया गया था। जब नव.दिस. में कुआ सूखा पड़ा था। शेड़, प्लेटफार्म बनाने, बाउंड्री वाल बनाने, मंडियों के कार्यालयों के भवनों से देखा जा सकता है। कि मंडियों में कितना स्तरहीन निर्माण कार्य होता है। जिसके उदाहरण हैं छावनी मंडी, लक्ष्मी गंज मंडी इंदौर, देवास की मंडियों के, उज्जैन मंडी, धार की मंडी के भवन। जबकि पैसा पर्याप्त लो.नि.वि. के एस ओर आर के ए प्लास निर्माण के हिसाब से खर्च होता है। सनावद की मंडी में प्लेटफॉर्म बनाने में भाग ६ की दिवाल बनाकर भराई करके बना दिया गया था। स्वाभाविक है। कि का.अ. श्रीवास्तव जानकारी देने से बचने और झूझे ही जानकारी दे दी गई है, कहकर पिंड छुड़ाया। सच्चे अर्थों में सिविल इंजिनियर इन करप्शन है।

कहानी की ओर गहराई में गए तो म.प्र. दुग्ध संघ के तकनीकी व्यक्ति भी इस काली कमाई को हड़पने के लिए यहाँ आकर बी ग्रेड की मंडियों में सचिव बन जाते हैं। जिसका उदाहरण है देवास की मंडी में बैङ्के राजेश गायोल जो न केवल महाभ्रष्ट वरन भारी जालसाज है। मप्र दुग्ध संघ में ये जहाँ भी भारी जालसाजियों की और अब देवास की मंडी में बैङ्केर सुर्वों के अनुसार मंडी शुल्क में व्यापारियों के साथ मिलकर भारी पैसों कमा रहा है। धार के मंडी सचिव परमार भी दुग्ध संघ से ही आयी है। देवास की मंडी में एसएस अधिकारी एनपीराय को हटाकर, पूर्व के मंडी बोर्ड भोपाल का सचिव विवेक अग्रवाल के साथ मामला जमाकर ये वर्तमान मंडी सचिव राजेश गोयल देवास में जमा है अर्थात मंडिया भ्रष्टाचार की मंडियाँ हैं। जहाँ जिसे मौका मिल रहा है। दोनों हाथ से उलीचने में लगा है।

यही कारण है, कि किसानों का हितैषी बताने वाला ये मंडी बोर्ड ५ वर्ष बाद भी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ४ की १७ बिंदुओं की जानकारी अभी तक नहीं उपलब्ध करवाया रहा है। जो इसके उपर से नीचे तक छाया जालसाजियों और में भी कही गई थी पर भोपाल के मुख्यालय में बैङ्के भ्रष्ट सचिव राकेश श्रीवास्तव ने जवाब में उड़ाई ही नहीं, कारनामों और भी है।

जाता है। वहीं ये रेंजर लकड़ी चोरों, जानवरों का शिकार करने वालों, जड़ीबूटियाँ बटोर कर बेंचने वालों, शासन की तन ग्राम क्षेत्रों में चलने वाली योजनाओं के चलाने वालों, अवैध खनन करने वालों से



सांटगाट कर लाखों, कराड़ों वन संपदा से कमाए और बड़े-बड़े व्यावसायों में निवेशित करते रहते हैं। बेशक हिस्सा ये रेंजर

आबटन पर धातुओं से लेकर साहयक वन मंडलाधिकारी, सी एफ, सी सी एफ तक यथायोग्य पाइप लाइन से पहुंचाते रहते हैं।

२ देवास में जमे कुछ डेंजर रेंजरों को जो धन आबंटन के वितरण जो उनकी रोवड़ बही से मिले, देवास रेंज, बागली रेंज, कांटाफोड़, पानीगांव, पुंजापुरा, सलास रेंज, उदय नगर, के दिए जा रहे हैं जिसमें रेंजरएस के. श्रीवास्तव, ए.के. श्रीवास्तव, जी.डी. बैरागी, केमरा डी.आर. शास्त्री, एन.डी.जाधन, आर.के. गुप्ता, आर.के. शुक्ला, एन.पी. शर्मा, एस.के.खरे, व्ही.पी. उपाध्याय आदि को मिले आबंटन का ब्यौरा। उपरोक्त वितरण, बताता है, कि इन वन विभाग के डेंजर रेंजरों को कितना आबंटन उस समयावधि में मिला उसका

५० प्रतिशत तो सीधा धन कागजी कार्यवाहियाँ करके उकारा गया दूसरी ओर वन संपत्तियों को अवैध रूप से नॉचकर वारे-न्यारें किए गए। शासन को चाहिए कि वनविभाग के तनैलों की अलग से जांच करता करता कर उक्त धन का क्या सदपयोग किया गया इन हराम खोरों के कार्यकाल में कितनी वन संपत्तियों को उजाड़ा गया।

३ बेशक ये हरामखोर मामला पुराना कहकर बच निकलते और बचाने की कोशिश करेगा, इसके विपरीत आम नागरिक, ग्रामीण वन विभाग की सच्चाईयों से रूबरू होकर भविष्य में इन जंगली खानों के भ्रष्टाचार पर भी निगाह रख सकेंगे अगजी किस्तों में पढ़िए सूचना के अधिकार में प्राप्त अन्य दस्तावेजों का खुलासा।

पूरे प्रदेश में घाटे दिखाकर विद्युत वितरण क. में लूट भ्रष्टाचार का तांडव

हर वर्ष दरों में बढ़ोतरी कर जनता से वसूली

रु.३२५ करोड़ के ठेके में केवल भुगतान हुआ, ठेकेदारी व्यवस्था से जनता घोर परेशान, इंजीनियर्स, तकनीशियन काम बिगड़ने से हैरान।

इंदौर। मप्र विद्युत वितरण क. ने इस वर्ष भी लगातार कीमतों में वृद्धि करने के इतिहास को दोहराया है। इसके पीछे कारण दिखाया क. को लगातार घाटे बढ़ते बढ़ना दिखाया गया है। जबकि इसे पीछे को सत्यता यह है, कि घाटे क. इन ५ वितरण क. में बढ़े पीछे की सत्यता यह है, कि घाटे क. इन ५ वितरण क. में बड़े गैर तकनीकी इंजिनियर एड्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों की लूट खसोट और बेइतहा वसूली के कारण हो रहे हैं। जैसा कि इन हरामखोर अधिकारियों की आदत होती है। ये जिस साख पर बैठते हैं। आप लूट आर वसूली के चलते संबंधित विभाग को बर्बाद करते चलते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि वे कुछ भी करें उनका बाल भी बांका नहीं होगा। दूसरा दो-तीन वर्ष में जितना लूट सकते हो, लूट लो क्योंकि ३ वर्ष के बाद तो स्थानांतरण हो ही जाएगा। जो भी होगा आने वाले भुगतान पूर्व के मप्र के मुख्य सचिव राकेश साहनी जो वर्तमान में मप्र विद्युत मंडल के अध्यक्ष हैं। ने रु.२४ करोड़ के बिलों के प्रसिद्ध उद्योग पति जिनल के बकाया भुगतान को रु. १ करोड़ प्रतिवर्ष की किशतों में बांट दिया। जबकि छोटे रु.२०००,३००० के बिलों के भुगतान के लिए हजारों को जेल भिजवाने की तैयारी कर ली जाती है। वर्तमान इस भ्रष्ट अध्यक्ष राकेश साहनी के जिनल परिवार से गहरे रिश्तों के चलते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह छूट दे दी गई। ऐसा ९० प्रतिशत बड़े उद्योग पतियों, बकायादारों के मामले विद्युत वितरण के प्रबंध संचालक धन ले देकर ये रियासतें खुले आम बांटते हैं। इसके विपरित छोटे हजारों के बकायादारों पर बिजली काटने की कार्रवाईयों से लेकर विद्युत वसूली का विशेष न्यायालय कोई रियायत नहीं देता, जो बिल सच्चा हो या छूटा दूसरी ओर बिजली बिलों की वसूली, संग्रहण से लेकर अधिकांश काम जिसमें शिकायतें, फाल सुधारने यहां तक कि सब स्टेशनों उच्च दाब स्टेशनों रख-रखाव को भी इन हरामखोरों ने झुंके पर को जो इन्हीं इंजिनियरों के रिश्तेदार हैं। सौंप कर दोनों हाथों से लूट खसोट में लगे हैं।

समय माया ने लिखा था कि हर विद्युत वितरण क., पारेषण और विद्युत उत्पादन क. में बैङ्का हर इंडियन एड्यूसिंग सर्विस का अधिकारी जो प्रबंध संचालक बना बैङ्का है। रु.३००-४०० करोड़ हर वर्ष डकारता है। वह सत्यता अब असली रूप में समाचारों की सुर्खियां बनने लगी है। अकेले इंदौर में ही वर्तमान जिलाधीश राघवेंद्र सिंह ने रु. ३२५ करोड़ का एक झुंका अपने किसी मिलने जुलने वाले की ग्वालियर की फर्म को दिया था। समी उच्च दाब के विद्युत केन्द्रों से लेकर निम्न दाब के ट्रांसफार्मरों, इंदौर उज्जैन संभाग के ५ लाख से ज्यादा विद्युत खंबों पर रंग रोगन व पुताई के लिए। परंतु पूरे इंदौर, उज्जैन, संभाग के किसी भी खंबे में ब्रश गाए बिना ही पूरा भुगतान किस्तों में कर दिया। घोटेला सामने आए इसके पूर्व ही राघवेंद्र इंदौर जिलाधीश बन गए और मुख्य अभियंता जो पूर्व से ही महाभ्रष्ट था और भंडार व क्रय में रहकर करोड़ों के घोटाले कर चुका था रवि तिवारी और ४ अन्य अभियंताओं ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति

लेकर मुक्ति, पाली और रु. ३२५ करोड़ का मार जनता को घाटे होने के आधार, बिजली की कीमतें बढ़ाकर तोहफे के रूप में दिया गया। यहीं हाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क. भोपाल, जबलपुर का भी है। जहां करोड़ों रु. के कार्य ठेकेदारों को दिए जाते हैं। और काम हो न हो पैसा जरूर भुगतान कर दिया जाता है। पूरे मप्र विद्युत मंडल का अध्यक्ष भी भारतीय गाली देने वाली सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में राकेश साहनी जो पूर्व से ही महाभ्रष्ट था बैङ्का है। ये हरामखोर सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी शानों शौकत कायम रखने के लिए ऐसे पद मुख्य मंत्री पर अपने एहसानों का दबाव और ब्लेक मेल करके हथिया कर बैठ जाते हैं। बाद में फिर वहीं लूट खसोट का तांडव करते हुए संबंधित विभाग की बर्बादी का कारण बनते हैं। कानूनों के विपरीत जाकर काम करना उसकी आड़ में वसूली करना इन शूकरों का पुराना शगल होता है।

संजय गांधी विद्युत उत्पादन इकाईयों को ही ले जहां एक तरफ कोयले की कमी का रोना रोकर जानबूझकर कम उत्पादन कर रहे



हैं। वहीं दूसरी ओर कोयले की कमी की आड़ में विदेशों से रु. ४-५ किलों का कोयला खरीद रहे हैं। इसके विपरीत ईस्टर्न कोल फील्ड की खदाने ८० पै. किलों के कोयले निवीध आपूर्ति इंदौर की ही अनेकों फैक्ट्रीयों को कर रही है दूसरी ओर ये जानबूझकर वेस्टर्न कोल फील्ड से केवल पूरा कोयला नहीं उड़ाने पा रहे हैं। वरन् जानबूझकर पुराने बिलों का भुगतान अटका कर बैठना इनका शगल है। ताकि क. कोयले की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करें और ये कोयले की कमी का बहाना बना सकें।

पिछले १५ वर्षों से सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। विद्युत मंडलों में जब से ये गिद्धों आईएस की फौज ने बैठना या बैङ्काना शुरु किया है। ये सभी अरबों रु. हर वर्ष, खरीदी, विद्युत की बिक्री, विद्युत स्टेशनों के रख रखाव को ठेकेदारी आदि से, बिलों पर छूट, नए निर्माण लाइनें डालने के नाम पर न केवल प्रदेश का वरन केन्द्र सरकार का भी अरबों रु. अनुदान के भी डकार गए हैं।

हर वर्ष राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अरबों रु. विद्युत मंडल और उसकी कंपनियों के विकास और वितरण पर खर्च करती हैं। हर वर्ष २५ से ४० प्रतिशत कीमतें बढ़ाई जा रही है विद्युत उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा उस अनुपात में गिर रहा है। राज्य सरकार और विद्युत मंडल पिछले या २० वर्षों में न तो अपना

कोई जल विद्युत और न ही ताप विद्युत जो १००-२०० से लेकर १००० में खड़ा कर सका है। यदि इंदिरा सागर औकारेश्वर की भी बात करे तो वह भी राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम के साथ खड़े किए उससे भी अपने हिस्से की मुफ्त बिजलियों राज्य के संसाधनों से उत्पन्न की जा रही है, के साथ ही एनएचडीसी से खरीदी नहीं करना चाहते जान बूझकर टन्नटन्न पावर, जिनल से ५० पै. और २ रु. की अपेक्षा ४ रु. प्रतियुनिट की बिजली कमीशन उकारते हुए खरीद रहे हैं। और अरबों रु. के चिट्ठे में घाटे दिखाकर इस राज्य विद्युत मंडल और उसकी कंपनियों को निजी हाथों में देने का षड्यंत्र कर रहे हैं जिसमें इन डकैत आईएस अधिकारियों, मंत्रियों और उच्च पदों पर बैठे मंडल के इंजिनियरों की मोटी हिस्सेदारी है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग भी जनता और उपभोक्ताओं को छलने मंडल की घाटे की दलीलों और कीमतें बढ़ाने के बहाने को कपट और शांति से लाने वाला नासूर का रोग है। जो विद्युत मंडल के भ्रष्टाचार में से हिस्सा डकार कर उसके रेंकने को मधुर संगीत में बदल जनता के दिमाग

में पाचन कार्य संपन्न कर आसानी से सुनवाई आदि की नौटंकी कर कीमते बढ़ाने का औचित्य सिद्ध कर आम उपभोक्ता की जब पर डकैती को वैधानिकता की चोगा ओढ़ा देता है। अब पूर्व का लोक निर्माण विभाग का डकैत सचिव आर मप्र सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक सुलेमान आतंकवादी मप्र उर्जा विभाग का सचिव बना दिया गया है स्वाभाविक है यहां पर भी हजारों करोड़ रु. का लेन-देन कर इन विद्युत वितरण, उत्पादन और पारेषण क. को भी निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र स्पेगा और अधिग्रहीत करने वाली निजी फर्मों से मोटा कमीशन डकारेगा।

इन हरामखोर प्रबंध संचालकों विद्युत वितरण से सूचना के अधिकार में कोई भी जानकारी मांगी जाती है। तो यहां बैङ्क शानों की फौज पहले तो आवेदकों पर भौंकती है। फिर डरती धमकाती है। फिर भी न मानने पर समय बाधित होने के बाद पूर्व की तिथियों में जवाब भेजती है। जब सूचना आयोग में जाता है आवेदक तो ये शूकर वहां पर शानों को टुकड़े डाल कर किसी भी आधार पर अपील ही रद्द करवा देती है। मप्र विद्युत मंडल के मामले में एक कहु सत्य यह भी है, कि मप्र की सत्ता में १९८० के बाद जो भी आ उसने इसे सबसे मोटी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा, १९६०-१९८० के बीच विद्युत की महत्ता न केवल शासकों

को वरन जना को भी समझ में आ चुकी थी इस संबंध में महाधूर्त, मक्कार जालसाज डकैत मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग जो उस समय सत्ता में आने के लिए गरीबों और ग्रामीणों के वोट कबाड़ने के लिए रु.१० में एक बत्ती कनेक्शन देने की घोषणा कर दी और चुनाव तो जीत गए। परंतु उस एक बत्ती कनेक्शन ने मप्र विद्युत मंडल को अपने दम पर ग्रामीण और गरीब वासियों में लाखों किमी लंबी लाइनें डालकर एक बत्ती कनेक्शन दिए पर राजस्व के नाम पर न केवल कुछ भी नहीं मिला वरन एक बत्ती कनेक्शन से विद्युत पंप और मोटरें, कूलर, फ्रीज और उद्योग धंधे चलाने लगे उसका पैसा मप्र सरकार ने लौटाने के लिए किया हुआ वादा, वादा ही रह गया।

फिर भूत पूर्व महाधूर्त अर्जुन सिंग ने मप्र का मुख्य मंत्री रहते हुए जो लुटो और लुटाओ न कल हम रहेंगे न तुम की तर्ज पर मप्र विद्युत मंडल रु. १०००० हजार करोड़ तेंदुपत्ता मजदूरों के बोनस के नाम पर लिए वह भी नहीं लौटाए। इसके बाद वहां पर अध्यक्षों की नियुक्ति भी रु.३-५ करोड़ लेकर की जाए लगी। वहीं से बेड़ा गर्क होने लगा। फिर जो भी आया, डकैती डाली हाथ पोंछे और चला गया। दिग्गी दानव ने उंचे ही खेल खेले इलेक्ट्रानिक मीटर आपूर्ति में रु.१०० का मीटर रु.१०० में लगाया गया और वहीं भी ४० प्रतिशत तेज था यांत्रिकीय मीटरों से। ३ ससेजनता को भी लूटा और अपने ही भाई की फर्म को उस रु. ९०० करोड़ के मीटर आपूर्ति में रु.७०० करोड़ का फायदा करवाया। और अब जब से ये हरामखोर इंडियन एड्यूसिंग सर्विस अधिकारी इस मंडल से लेकर कंपनियों तक के अंडा बनाए जाने लगे इन्हें अपने रु. ३०० से ४०० करोड़ हर वर्ष लूट के लिए चाहिए। चाहे विद्युत वितरण जनता को हो न हो। फैक्ट्रीयों की आपूर्ति से, तो ये करोड़ों रु. कमाई ही लेते हैं। सारा खेल वर्तमान में इन कंपनियों को निजी हाथों में सौंपकर धन बटोरने का चल रहा है। जनता जो बिजली से हर कदम जुड़ी है। आवश्यकता है। कि इसे इन कंपनियों और आईएस के चंगुल से मुक्त करवा कर पुनः मंडल बनाने का आंदोलन करें। निजी करण होते ही, निजी कंपनियों लूट का घोर तांडव बर पाएंगी इसके विपरीत विद्युत आपूर्ति भी मुश्किल से ही मिलेगी। वर्तमान में भी विद्युत मंडल अधिकांश कार्य निजी ठेकेदारों से करवा रहा है। यहां तक कि मंडल के पास अपने वाहन भी नहीं हैं। ठेके पर और किराए के वाहनों से ही करोड़ों रु. का अनाप शनाप खर्च न केवल इन वाहन मालिकों को जो कि नेताओं, मंत्रियों, राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर मंडल के ही इंजिनियरों के मंडल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं सब जानते हैं। कि पैसे का पूरा भुगतान और मर्जी होगी जब आएंगे, चाहेंगे तब चल जाएंगे इससे मंडल के कर्मचारी और अधिकारी सब हैरान परेशान है। मंडल नियुक्तियां भी नहीं कर रहा है। वर्षों से, इसलिए स्टॉफ की भारी कमी भी बचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी लूट का मौका देकर जनता के कंधों पर आती है।

पृष्ठ ५ की बीमा कम्पनीयां

List of TPA 's as on 24th April, 2008

Name of TPA/ Licence Number/ Expiry Date	Name of CAO/CEO / Address
Dawn Services Pvt. Ltd.(Licence No. 001)Valid upto 20th March, 2008	Dr. R. Suresh KumarManaging Director & CEO301A, Heritage Plaza,J.P. Road,Opp.Indian Oil Nagar, Andheri (West),Mumbai – 400 053
Parekh Health Management (Pvt.) Ltd.(Licence No. 002)Valid upto 20th March, 2011	Mr. C B MuraliChief Administrative Officer,3A Gundecha Onclave, Kherani Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400 072
Medi Assist India Pvt. Ltd.(Licence No. 003)Valid upto 20th March, 2011	Mr. V.V. SureshChief Administrative Officer"Shilpa Vidya", 3rd Floor 49, 1st Main Road, Sarakki Industrial layout,3rd Phase, J P Nagar, Bangalore – 560 078.
MD India Healthcare Services (Pvt.) Ltd.(Licence No. 005)Valid upto 20th March, 2011	Mr. Suresh V. KarandikarChief Executive OfficerS.No. 147/8 Near Kothrud Petrol Pump,Near Karve Statue Circle,Kothrud, Pune – 411 038.
Paramount Health Services Pvt. Ltd.(Licence No. 006)Valid upto 20th March, 2011	Mr. Murali K.Chief Administrative Officer, Elite Auto House, 2nd Floor, 54-A, M.Vasanji Road, Off. Andheri-Kurla Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai – 400 093
E Meditek Solutions Ltd.(Licence No. 007) Valid upto 20th March, 2011	Mr. Gopal VermaManaging Director45, Nathupur Road, DLF Phase – III , Gurgaon.
Heritage Health Services Pvt. Ltd. (Licence No. 008) Valid upto 20th March, 2008	Mr. Surinder Tiwari, CAO, NICCO HOUSE (5th Floor) 2, Hare StreetKolkata-700001
Universal Medi-Aid Services Ltd. (Licence No. 009) Valid upto 20th March, 2008	Mr. G. P. SurekaChief Executive Officer1104, Akash Deep, 26 A, Barakhamba Road, New Delhi – 110 001
Focus Healthcare Pvt. Ltd. (Licence No. 010) Valid upto 20th March, 2008	Ms. Roma Bhatia, Chief Administrative Officer, Focus Healthcare Private Limited, 510 Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001
Medicare TPA Services (I) Pvt. Ltd. (Licence No. 012) Valid upto 20th March, 2011	Mr. Dipankar Roy Chief Administrative Officer, Flat No 10, Paul Mansions , 6B, Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700 020.
Family Health Plan Ltd. (Licence No. 013) Valid upto 20th March, 2011	Ms. G. BharathamChief Administrative OfficerM/s Family Health Plan Ltd. Plot no. 25, M.C.H. No. 8-2-334, Azam Coloney, Road No. 03, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
Raksha TPA Pvt. Ltd. (Licence No. 015) Valid upto 31st March, 2011	Mr. Pawan BhallaChief Executive Officer 15/5, Mathura Road, Faridabad, Haryana – 121 003
TTK Healthcare Services Private Limited(Licence No. 016) Valid upto 15th May, 2008	S h r i S.KrishnamurthyChief Exceutive Officer#7, Jeevan Bima Nagar Main Road, HAL III Stage , Bangalore – 560 075
Anuya Medinet Healthcare Pvt. Ltd. (Licence No. 017) Valid upto 15th May, 2008	Mr. P. R JoshiChief Administrative Officer, 65, Lavelle Road, 4th Cross, Bangalore – 560 001.
East West Assist Pvt. Ltd. (Licence No. 018) Valid upto 15th May, 2008	Mr. Parikshit MahajanChief Executive Officer97, Maneh Shaw Road, Sainik Farms, Near Anupam Gardens, New Delhi – 110062
Med Save Health Care (Licence No. 019) Valid upto 15th May, 2008	Mr. S. MammanChief Administrative OfficerF-701A, Lado Sarai, Behind Golf Course, Mehrauli New Delhi – 110 030
Genins India Ltd. (Licence No. 020) valid upto 10th June, 2008	Mr. Vikas MadanChief Administrative OfficerD-60, Sector-2NOIDA-201301
Alankit Health Care Limited (Licence No. 021) Valid upto 17th November, 2008	Mr Dhan Pal JainChief Executive Officer 205-208,Anarkali Complex, Jhandewalan Extn., New Delhi – 110055
Health India TPA Services Private Limited(Licence No.022) Valid upto 17th November, 2008	Mr. Felix WalderChief Executive OfficerAnand Commercial Co. Compound, 103-B L B S Marg, Gandhi Nagar, VikhroliMumbai 83
Good Healthplan Ltd. (Licence No. 023) Valid upto 26th January, 2009	Mr T K Shenoy, Chief Administrative Officer, 8-2-1/8/1, S.V.R. Towers, 4th Floor, Srinagar Colony Road, PanjaguttaHyderabad – 500 082.
Vipul Med Corp TPA. Pvt. Ltd. (Licence No. 024) Valid upto 28th February, 2010 td>	M r . R a j a n Subramaniam Chief Executive Officer, 515, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon – 122 016
Park Mediclaim Consultants Private Ltd. (Licence No. 025) Valid upto 27th September, 2010	Sh N.K. MalhotraChief Executive Officer702, Vikrant Tower Rajinder Place New Delhi-110008
Safeway Mediclaim Services (Licence No.026) Valid upto 19th July, 2008	Mr. Mahesh Sharma6/2 First Floor, Near SBI, Kirti Nagar Industrial AreaNew Delhi – 110 015
Anmol Medicare Ltd. (Licence No. 27) Valid upto 26th October, 2008	Mr. Mukesh ShahChairmanNo. 3, 2nd Floor, NBCC House, Near Shajhanad College, Opp. Stock Exchange, Ambavadi, Ahmedabad – 380015, Gujarat
Dedicated Healthcare Services (India) Private Limited, (Licence No. 28) Valid upto 25th April, 2009	Mr. R Srinivasan, Chief Executive Officer, Cambata Building, (Eros Theatre Building) East Wing, 3rd Floor, 42 Maharishi Karve Road, Mumbai 400 020MaharashtraCorporate Office18, 2nd Floor Khetan Bhawan, J.Tata Road, Churchgate, Mumbai
Grand Healthcare Services India Private Limited(Licence No. 29) Valid upto 15th May, 2009	Mr Bibhutosh ChattopadhyayChief Administrative Officer45A Hindustan Park, P.S.: GarighatKolkata 700 029West Bengal
Rothshield Healthcare (TPA) Services Limited(Licence No. 30) Valid upto 15th July, 2010	Dr Ritesh M BhateChief Executive Officer, Rothshield Healthcare Services Limited, 402 Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai 400 020
Sri Gokulam Health Services TPA (P) Ltd. (Licence No. 31) Valid upto 23rd March, 2011	Chief Administrative Officer, New Number 118/1, "Mangalam", Omalur Main Road, Four Roads, Arisipalayam, Salem 636009Tamilnadu

स्कूलों और कालेजों में शिक्षा माफियाओं का तांडव

सत्र प्रारंभ होने से पूर्व निरस्त करो मान्यता

साधनों, शिक्षकों का अभाव- जालसाजी और वसूली में आगे

वर्तमान में शिक्षा, दीर्घ गामी, स्थायी आय के स्रोत का झोस व्यवसाय बन चुकी है, शिक्षा भारतीय संस्कृति का पुण्य, समाज सेवा, राष्ट्रोत्थान और राष्ट्र के समृद्ध भविष्य का परोपकार ताला सुकृत्य केवल शास्त्रों, पुराणों और इतिहास के पन्नों की कथा मात्र रह गया है।

अब शिक्षा भ्रष्टों जालसाजों यौन लोलुपों के स्थायी और दीर्घकालीन कमाई के साथ ही अपनी कुंझित यौनाचार को भोगने का माध्यम बन चुकी है। अब स्कूलों कालेजों का उद्देश्य, बचपन से युवा वर्ग तक को शिक्षित करना नहीं वरन् शिक्षा के नाम पर शासकीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए युवा पीढ़ी के माता-पिता और संरक्षकों को उनके बच्चों का स्वर्णिम भविष्य दिखाकर लूटना और युवा विद्यार्थियों को छात्राएँ हो या छात्र उनका शारीरिक मानसिक शोषण करना और शिक्षा समाप्ति के अंत में अंकसूचियों प्रमाण पत्रों और डिग्रीयों के कागज के टुकड़े बांटकर लेना है।

अब शिक्षा का आधार भूत उद्देश्य चरित्र निर्माण समाप्त हो चुका है। इसके विपरीत अब शिक्षा चाहे वह स्कूलों की हो या कालेजों की, विद्यार्थियों को न केवल चरित्रहीन वरन् ब्यौड़ा, स्वच्छंद ८० प्रतिशत भी बना रही है। अब १५ वर्ष की सहशिक्षा में पढ़ने वाली, छात्राएँ और १८ वर्ष की उम्र तक के ७० प्रतिशत छात्र यौनाचार को भोग चुके होते हैं। यह वर्तमान और राष्ट्र के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होगा। वर्तमान में ६० प्रतिशत हत्याएँ यौन संबंधों को ही लेकर हो रही हैं।

इन सबके विपरीत शिक्षा माफियाओं को धन कमाने से मतलब है उनके स्कूलों और कालेजों पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनकी बला से। सबसे बड़ी बिड़बना यह है, प्रदेश

के और देश के स्कूली शिक्षा विभाग में बैङ्के भ्रष्टों को जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों, सचिव, प्रधान सचिव से लेकर मंत्री तक सबको अपने मुंह की चौड़ाई के हिसाब से धन देते जाइए और खुले सड़क पर स्कूल लगाकर, प्रार्थनाएँ करवाकर, सरकारी सड़कें घेर कर करुरत के २५ प्रतिशत शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाकर बस समय पर परीक्षाएँ करवा कर, दिलवाकर जिसमें खुली नकल करवा कर पास की अंक सूचियों और प्रमाण पत्र बांटने की दुकानदारी चलाइए।

चाहे विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हो न हो, बैङ्कने की कक्षों लायक पर्याप्त कक्ष न हो, पुस्तकालय प्रयोगशालाएँ न हो, पीने के पानी, मुत्रालय, शौचालय, साफरुम न भी हो तो भी चलेगा, फीस शिशु मंदिरों में रु. ५००/- से १०००/- प्रतिमाह तक वसूली जा रही है। पर शासन के जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर भोपाल दिल्ली तक के मुख्यालयों में सुंदरियाँ और नोट लेकर जाइए सारी मान्यताएँ तत्काल आपके हाथ में होंगी।

चाय-पान की दुकानों की तरह चलने वाले इंजिनियरिंग शिक्षा, फार्मसी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एलोपैथिक, प्रबंधन कम्प्यूटर, तक की डिग्रीयाँ अब आसानियाँ से इन पर उपलब्ध हैं। लाखों रु. की फीस वसूलने वाले १६० से ज्यादा इंजिनियरिंग १८० से ज्यादा फार्मसी, २०० के लगभग शिक्षा, ३०० से ज्यादा प्रबंधन कालेज चाहे निजीक्षेत्र के हो या शासकीय क्षेत्र में पर्याप्त न तो विषय विशेषज्ञ, शिक्षक न प्रयोगशालाएँ यहां तक की पुस्तकालय तक न होने पर भी सारे कालेज धड़ले से चल रहे हैं जबकि ऐसे सभी स्कूलों, कालेजों की मान्यताएँ तत्काल का स्टॉप, न मैदान न प्रयोगशालाएँ पुस्तकालय, इसके उपर से प्रमाण पत्रों की, अंकसूचियों

की जालसाजियाँ, पैसे खिलाकर जैसे जिला शिक्षा अधिकारी मंडल के आंचलिक परीक्षा केन्द्र बनाते हैं। तत्काल ऐसे कालेजों स्कूलों का सत्र प्रारंभ होने से पहले मान्यताएँ रद्द की जानी चाहिए। बेशक ऐसे सारे स्कूल कालेज शिक्षा माफियाओं जिनमें नेता, अधिकारी सरकारी स्कूलों, कालेजों के प्राध्यापक प्राचार्यों से लेकर शासन के अधिकारियों, पुलिसियों तक का पैसा लगा होता है, उनके बीबी, बच्चों, रिश्तेदारों के नाम से चलाए जाते हैं अधिकंश शूकरों की पहुंच के चलते छोटे मोटे अधिकारियों को वो गिनते नहीं, चमकाते धमकाते हैं वो अलग से जब मेडिकल कौंसिल मेडिकल कालेजों की मान्यताएँ करोड़ों रु. लेकर जिसमें दिल्ली के मेडिक कौंसिल का अधिकारी पकड़ा गया था से लेकर १० प्रतिशत स्कूलों कालेजों का भी यही हाल है।

आखिर शासन के शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के भ्रष्ट निक में अधिकारी स्कूली और उच्च शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनस इतने असंवेदनशील क्यों हैं, कि वो राष्ट्र के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं। इन शिक्षा के मंदिरों में चरित्र निर्माण तो अब अतीत की गाथाएँ बन चुकी हैं। परंतु शिक्षा की इन दुकानों में जब मनचाहा पैसा लेकर क्या और कैसे शिक्षा दी जा रही कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। हाँ अब पिछले ५-७ वर्षों से राज्य के शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार और वसूली से तंग आकर अधिकांश स्कूल जरूर केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल दिल्ली से मान्यताएँ लेकर इन्हें अब झुँगा दिखा रहे हैं।

उनसे बड़े जालसाज अंतर्राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा से मान्यताएँ लेकर जो कि पूर्णतः फर्जी हैं जिसे केन्द्रीय व राज्य सरकारों की कोई मान्यता न होने के साथ ही पूरा संगड़न ही जालसाजी की बुनियादी पर खड़ा है।

क्या इंडियन एब्यूसिंग सर्विस वाले सब खुदा है सबसे धष्ट ३० से ४० वर्ष हूटते हैं, देश और जनता को न लोकायुक्त, न आयकर, न सीबीआई, न न्यायालय इनके विरुद्ध कोई भी हाथ नहीं डालता


भारत की सत्ता के असली मालिक हैं इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी बनाम भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो

कि वास्तविकता में आगम आय के संग्रहण हेतु अंग्रेजों द्वारा बैठाए गए थे, राष्ट्र की आजादी के बाद उन्होंने देखा बैठाए गए थे राष्ट्र की आजादी के बाद उन्होंने देखा असली शासक जा चुके हैं, और जो नेताओं की बाद की जो फौज बची है, वास्तविकता में अधिकांश अनपढ़ और जाहिलों की फौज है, इसलिए नो यहां के असली प्रशासक बन बैठा।

इस राष्ट्र में ये भ्रष्ट शूटरों की फौज देश को देश की जनता को

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जितना जिंदगी भर में नहीं कमतों उतना ये जिलाधीश आयुक्त, सचिव बनकर एक लाइन इधर उधर करने उपर नीचे करने में ही कमा लेते हैं, इन्हें किसी भी विषय का विशेषज्ञ होने क जरूरत नहीं होती परन्तु ये हरामखोरों की फौज डाक्टरों, इंजिनियरों से लेकर वैज्ञानिकों तक को अपने इशारों पर हांकती और धन नौचती चलती है। ये आई एएस को आई एम से कहकर चलते हैं। ये अरब-खरब पति भी हो जाए चारो तरफ से ढेरों शिकायतें हो जाएं, करोड़ों, अरबों, की संपत्ति पकड़ी भी जाए, परंतु इन पर न तो लोकायुक्त की आंकात होती है, न आयकर न

जिला, सत्र, उच्च न्यायालयों ने सजाए इन्हें दे भी दी, तो क्या बिगड़ गया, सर्वोच्च न्यायालय से तो ये अपने संपर्कों के चलते, किसी तरह बच ही जाते हैं। जबकि इन इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों के पास ईमानदारी से पाइपलाइन का कमीशन आदि में भी अरबों रु. मिल जाते हैं। इन सब के अधिकांश बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रीयों से लेकर निजी इंजिनियरिंग कालेजों, मेडिकल प्रबंधन आदि कालेजों, बहुमंजिला इमारतों, शापिंगमाल्स से लेकर खुले बाजारों में वायदा व्यापार में फर्जी नामों से शेयर बाजार में अरबों रु. का धन लगा होने के साथ ही विदेशों



उसके धन को हर कदम बड़े ही शाही अंदाज में कानून बनाकर न केवल लूटती है, वरन् पूंजीपतियों के इशारे पर नाचकर अपनी कमाई और वसूली के लिए कानून भी सांसदों, की लोक सभा, राज्यसभा का उदाहरण हर कदम आजादी के बाद से बनाए गए हर कानून से मिल जाती है।

ये तो धूर्तों और मक्कारों की तो फौज होती है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के लाखों गांवों में बनी पंचायतों के पंचों सरपंचों तक को अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचाती आर हांकती है, छोटे से छोटी जगह और पद पर बैठा आई से एस रु. ५० करोड़ से लेकर अरबों रु. हर वर्ष कमाता और डकार जाता है। आम सरकारी कर्मचारी और

केंद्रीय जांच ब्यूरो, न कस्टम एव साइज की जो इन पर छापे डाले, इन की जांच करें, साथ ही न तो, जिला न्यायालय, न सत्र, न उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय इन पर हाथ डालता है, न ही इनके विरुद्ध कोई सजाए पारित करना है, वह भी इन्हें येन-केन प्रकरण बचा ही लेता है। जब भी किसी आई.ए.एस की श्रेणी से पुरस्कृत किए जाते हैं, वे सब ही इन सीधे आईएस चयनित होकर सेवाओं में रहते हैं के षडयंत्रों के शिकार बनते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भले ही साइटों पर इनके भ्रष्टाचार की कहानीयाँ सूची को इंटरनेट साइटों पर डाल रखा हो इसके विपरीत किस आई एस का किया बिगड़ गया, किस न्यायालय ने इन्हें सा सुना दी और

में भी पैसा स्वीजरलैंड तक की बैंकों तक में जमा करवाते हैं। इतनी लूट खसोट और डकैती के बाद भी पूरा परिवार सरकार गाड़ियों में घूमता है, बच्चों को फैंल होने के बाद भी मूफ्त में घर में रहकर या घर से बाहर रहकर भी सरकारी खर्चों पर दी जाती है। इनकी महानता और खुदाई का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, कि देश में अनेकों प्रधानमंत्री सन् १९७० से लेकर अभी तक आए जो परंतु रक्षा संलाहकार के रूप में पं. ब्रजेश मिश्र अपने स्थान पर डंटे रहे, अर्थात् जिनके माथे पर हम दोषों का ठीकरा फोड़ते हैं दोषारोपण करते हैं, उनके पीछे असली मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति आदि को नचाने वाले यही लोग होते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में औसतन १५०० से २००० मरते हैं, पूरे देश में

हर पेट्रोल पंप पर व्यवस्था हो एंबुलेंस की

तत्काल चिकित्सा मिलने पर ७० प्रश तक जान बचायी जा सकती है

पूरे राष्ट्र में हर दिन १५०० से २००० व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण दम तोड़ देते हैं। राष्ट्रीय राज्यों के राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में बहुत बड़ा तथ्य सड़कों पर पर्याप्त मार्ग संकेतकों सड़कों की स्थिति, सड़कों का स्तर हीन होना भी तेज गती और लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ अभी भी मुख्य कारण बना हुआ है। अधिकांश दुर्घटनाओं में तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल जाने से ७० प्रतिशत जाने बचाई जा सकती है। इसके विपरीत दुर्घटनाओं में पुलिसिया लापरवाही के साथ कानूनी प्रक्रिया घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा से भी वंचित करती है। यदि कोई अन्य राहगीर या वाहन चालक घायलों की मदद भी करना चाहे तो वह कानूनी परेशानियाँ न्यायालय और थाने की उलझनों से बचने के लिए चाहकर भी मदद नहीं कर पाता। दूसरी ओर यदि

कोई राहगीर और वाहन, चालक मानवीयता दिखाते हुए यदि सहायता के लिए आगे आकर घायलों की सहायता करते हुए थानों पर ले भी जाए तो उल्टे हो थाने वाले उसे न केवल बैङ्का लेते हैं। वरन् थाने में रिपोर्ट लिखने और चिकित्सा सेवाएं देने के नाम पर उल्टे ही वसूली करने से भी नहीं चूकते। इस बीच गंभीर घायलों के शरीर से आत्यधिक रक्त, स्राव या गहरीचोंये में घायलों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पर पुलिसिया कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती।

हर थाने में हो कैमरे जबकि हर थाने में कैमरे होने चाहिए ताकि तत्काल घालयों के मुख

और चोटों वाले हिस्से के फोटों लेकर सीधा ही चिकित्सालयों की तरफ भेज देना चाहिए ताकि घायलों को शीघ्र ही चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकें, और

घायलों की जीवित रहते ही जाने बचाय जा सकें। इसके साथ ही साथ में लाने वाले व्यक्ति की फोटों भी उतारी जा सके। जिससे वास्तविकता सहायताकर्ता या अपराधी की पहचान में आसानी और पर्याप्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय में काम आ सके।

पेट्रोल पंपों पर एंबुलेंस की व्यवस्था के साथ ही वहां के हर शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में एक दो प्रथम सहायता के कार्य में पूर्ण प्रशिक्षित हो। जिससे उस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं

में घायलों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो सके और घायलों को अनावश्यक रक्त बहने से रोका जा सके। एंबुलेंस में कैमरे भी हो, ताकि घायलों की वहीं फोटों और चोटों आदि फोटो लेकर कानूनी कार्रवाई और औपचारिकता से पूरी करने क अपेक्षा घायलों को चिकित्सालयों तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता में हो एंबुलेंस की व्यवस्था, तेल कंपनियों के खातों से की जानी चाहिए। जब अरबों रु. का लाभ तेल कंपनियों कमा रही है। जनता से तो थोड़ी सी सामाजिकता दिखाते हुए वाहन चालकों और यात्रियों के जीवन हितों को ध्यान में रखकर चलित अस्पताल कम एंबुलेंस की पूर्ण सुसज्जित व्यवस्था हो क्योंकि अगर वाहन चालक जीवित रहेगा तो पेट्रोल डीजल तो पंपों से ही भरवाकर उन्हीं को लाभ देगा। वाहन चालकों से ही कमाई करके ही सारी तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप

संचालित किए जा रहे हैं।

दूसरी ओर जब पेट्रोल पंपों पर रेस्टोरेंट, शापिंगमाल्स बनाए जा सकते हैं। तो वाहन चालकों के जी न की रक्षा के लिए पूर्ण सुसज्जित चलित अस्पताल वेन या एंबुलेंस की व्यवस्था ये कंपनियाँ क्यों नहीं करेंगी ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में इसमें घूट देनी चाहिए।

मप्र लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ कार्यपालन यंत्री श्री सांवाला जी का सुझाव था कि दुर्घटनाओं में घालयों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए हर २५-५० किमी पर रुक हैलिपेड की व्यवस्था हो। जहां तत्काल चॉपर उतरकर घालयों को उड़ाकर चिकित्सालयों तक पहुंचाए परंतु चॉपर न केवल महंगा है वरन् उसका रख रखाव बहुत टेढ़ी खीर होने के साथ आत्यधिक खर्चीला और भारी भरकम रखरखाव वाला होने से भारत में निकट भविष्य के ५-१० वर्षों से संभव नहीं होगा।

इसके विपरीत पेट्रोल पंपों पर चलित चिकित्सा व्यवस्था कम खर्चीला और त्वरित चिकित्सा पहुंचाने में सिद्ध होगी। शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं १०८ फोन नं. वाली चलि चिकित्सा वाहन काफी उपयोगी सिद्ध हो

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डान्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियाँ लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्प्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.

कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803